

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड कार्डधारक के लिए अनुबंध और सामान्य नियम एवं शर्तें

जारीकर्ता

Federal Bank

परिचय

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड की ये सामान्य नियम एवं शर्तें (कार्ड के सामान्य नियम) फेडरल बैंक द्वारा जारी किये गए क्रेडिट कार्ड पर लागू होती हैं। फेडरल बैंक एक ऐसी बैंकिंग कंपनी है जिसका गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत किया गया और इसका पंजीकृत कार्यालय फेडरल टावर्स, अलुवा, केरल (बैंक) में है। ये नियम एवं शर्तें इसके को-ब्रांडिंग पार्टनर Scapia Technology Private Limited के साथ साझेदारी में जारी की गयी हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, टावर B, मंत्री कॉमर्सियो, करियम्मना अग्रहरा, बिल्लंदुर, बेंगलुरु, कर्नाटक 560103 (Scapia) में स्थित है। उल्लेखित को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को आगे Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड के रूप में संदर्भित किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत, Scapia उन Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड की बिक्री और वितरण कर रही है, जिन्हें फेडरल बैंक द्वारा जारी किया गया है।

कार्ड के सामान्य नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं। ये नियम हैं: (i) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के नियम 3(1)(a) के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किए गए हैं, और (ii) कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और इसके लिए Scapia या बैंक से किसी भी प्रकार के भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान में लागू इन नियमों को अंतिम बार 27 फ़रवरी, 2026 को अपडेट किया गया था और इनमें समय-समय पर बदलाव किए जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर सबसे नया संस्करण हमेशा उपलब्ध रहेगा। कार्ड के सामान्य नियमों में किसी भी बदलाव के लिए इन्हें समय-समय पर देखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यदि आप Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड का लगातार उपयोग करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप ऐसे बदलावों के लिए अपनी सहमति देते हैं और आप इनके द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत हैं।

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की स्वीकृति के अनुसार, आप (“आप” या “आपका” या “आप स्वयं” या “ग्राहक” या “उपयोगकर्ता”, जैसा संदर्भ में उपयुक्त हो) सहमत होते हैं:

- c) Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड का उपयोग यहां दिए गए कार्ड के सामान्य नियमों और आवेदन पत्र में संदर्भित सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों (“MITC”) के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें बैंक समय-समय पर संशोधित कर सकता है।

- d) यदि आप कार्ड के सामान्य नियमों या **MITC** से सहमत नहीं हैं, तो आप हमें लिखकर सूचित करेंगे और **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड को नष्ट करके (काटकर) इसकी प्राप्ति तारीख से **30 (तीस)** दिनों के भीतर हमें वापस करेंगे।

परिभाषाएं

26. "एप्लीकेशन/ऐप" का अर्थ है **Scapia** डिजिटल और मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से आप **Scapia** द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इसके साथ ही आप **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस कार्ड के सभी पहलुओं को नियंत्रित कर सकते हैं;
27. "ऐप पिन" का मतलब उस व्यक्तिगत पहचान संख्या से है जो कार्ड मेंबर एप्लीकेशन से बनाता है, ताकि इसे पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित किया जा सके।
28. "अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड" या "ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड" का मतलब है कि मुख्य कार्ड मेंबर के अनुरोध पर एक अतिरिक्त कार्ड मेंबर को क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है।
29. "अतिरिक्त कार्ड मेंबर" या "ऐड-ऑन कार्डधारक" का मतलब है वह व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक / **NRI** / भारत में कार्यरत विदेशी नागरिक और प्राथमिक कार्ड सदस्य के निकट परिवार का सदस्य है, जैसे पति/पत्नी, भाई, बहन, माता-पिता और सास-ससुर, और जिसकी उम्र **18** वर्ष से अधिक है, जिसे मुख्य कार्ड मेंबर के अनुरोध पर अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और जिसके खर्च कार्ड खाते से चार्ज किए जाएंगे।
30. "बैंक" या "फेडरल बैंक" का मतलब फेडरल बैंक लिमिटेड से है।
31. "बिलिंग साइकिल" आपके **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड लेन-देन के आधार पर दो लगातार बिलिंग स्टेटमेंट्स जेनरेट होने के बीच की अवधि होती है।
32. "क्रेडिट कार्ड", या 'कार्ड' या '**Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड' का अर्थ है वह मान्य क्रेडिट कार्ड, जो बैंक द्वारा जारी किया गया है और जो आपको कार्ड खाते का उपयोग एक पूर्व-निर्धारित क्रेडिट लिमिट के भीतर करने का अधिकार देता है। "कार्ड" का अर्थ है सभी प्रकार के कार्ड, चाहे वो भौतिक कार्ड हों, वर्चुअल/डिजिटल कार्ड हों, या टोकनाइज्ड कार्ड हों।
33. "कार्ड मेंबर", 'मुख्य कार्ड मेंबर', 'मुख्य कार्डधारक', 'कार्डधारक', 'सदस्य', 'ग्राहक', 'वह', 'उसका', या इसी प्रकार के सर्वनाम का अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है और जिसके नाम पर कार्ड खाता बनाए रखा गया है।
34. "कार्ड खाता" या "खाता" का अर्थ उस खाते से है, जिसे बैंक इन नियमों और शर्तों के तहत मुख्य कार्ड मेंबर के नाम पर बनाए रखता है।
35. "क्रेडिट लिमिट" का अर्थ उस अधिकतम क्रेडिट से है, जिसका उपयोग किसी भी समय कार्ड खाते पर किया जा सकता है। क्रेडिट लिमिट में घरेलू सीमा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी शामिल होगी। घरेलू सीमा वह अधिकतम क्रेडिट लिमिट है, जो घरेलू लेन-देन के लिए निर्धारित की गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा वह अधिकतम क्रेडिट लिमिट है, जो अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए निर्धारित की गई है।

36. **"शुल्क"** का अर्थ है वे लेन-देन, जो कार्ड के इन सामान्य नियमों के अनुसार कार्ड खाते पर किए गए हैं, चाहे कार्ड मेंबर ने चार्ज फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हों या नहीं। इसमें शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं – कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके किए गए सामान, सेवाओं की खरीद या कैश एडवांस या ड्राफ्ट, **ज्वाइनिंग फीस**, वार्षिक शुल्क, वित्तीय शुल्क, क्रेडिट लिमिट से अधिक खर्च करने का शुल्क, देर से भुगतान करने का शुल्क, लेन-देन शुल्क, सेवा शुल्क, **GST** और कोई अन्य शुल्क/राशि, जिसे कार्ड सदस्य इस कार्ड के सामान्य नियमों के अनुसार बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत या उत्तरदायी है।
37. **"कैश लिमिट"** का अर्थ है वह राशि, जिसे कार्ड मेंबर गैर-खरीदारी लेन-देन के लिए नकद या नकद समकक्ष के रूप में उपयोग कर सकता है।
38. **"घरेलू लेन-देन / उपयोग"** का अर्थ है वह लेन-देन, जो भारत में मर्चेट आउटलेट्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) या ऑनलाइन लेन-देन के माध्यम से किया जाता है।
39. **"इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल"** का अर्थ है ब्रांच टेलर टर्मिनल, **ATM**, प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल या **EDC** (इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन) और अन्य उपकरण, जिनमें क्रेडिट कार्ड और/या पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) का उपयोग किया जा सकता है, और जिन्हें बैंक द्वारा नियमों एवं शर्तों के अनुसार अधिकृत किया गया है।
40. **"फाइनेंस शुल्क"** का अर्थ है और इसमें शामिल है, कार्ड खाते पर कुल बकाया राशि पर लागू ब्याज, जैसा कि इन नियमों और शर्तों में निर्धारित है।
41. **"अंतरराष्ट्रीय लेन-देन / उपयोग"** का अर्थ है वह लेन-देन, जो विदेशी मर्चेट आउटलेट्स, विदेशी **ATM** या भारत के बाहर शुरू होने वाली वेबसाइटों पर किया जाता है।
42. **"मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट"** का अर्थ है कोई भी कंपनी, निगम, संस्थान, फर्म, संघ, व्यक्ति या ऐसा कोई अन्य संगठन, जिसे बैंक समय-समय पर घोषित कर सकता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, और जिसे **MasterCard/VISA/Rupay** मर्चेट के रूप में नामित किया गया हो और/या जिसके साथ किसी **MasterCard/VISA/Rupay** सदस्य बैंक का ऐसा समझौता हो, जिससे कार्ड मेंबर कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके सामान, सेवाएं या कैश एडवांस प्राप्त कर सके।
43. **"NACH (राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह)"** या **"e-NACH"** का अर्थ है वह डेबिट क्लियरिंग सेवा, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है और जिसमें भागीदारी के लिए कार्ड मेंबर ने लिखित रूप में सहमति दी है, ताकि कार्ड खाते में बकाया राशि का भुगतान आसानी से हो सके।
44. **"खरीदारी"** का अर्थ है और इसमें शामिल है, कार्ड मेंबर द्वारा कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके किए गए सामान और सेवाओं की खरीदारी।
45. **"भुगतान की अंतिम तिथि"** का अर्थ है वह तारीख, जिस दिन या उससे पहले कार्ड मेंबर को बैंक को भुगतान करना होता है।
46. **"प्राइमरी क्रेडिट कार्ड"** का अर्थ है वह कार्ड, जो मुख्य कार्ड मेंबर को जारी किया गया है।
47. **"कुल बकाया"** का अर्थ है कार्ड खाते पर बैंक को देय कुल बकाया राशि, जिसमें शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं – चार्ज, शुल्क और कोई अन्य राशि, जो बैंक समय-समय पर बिलिंग साइकिल में लगा सकता है।

48. “अस्थायी क्रेडिट लिमिट में वृद्धि” का अर्थ है उस क्रेडिट लिमिट में वृद्धि, जिसका अनुरोध कार्ड मेंबर किसी विशेष उद्देश्य के लिए करता है। क्रेडिट लिमिट में यह वृद्धि एक निर्धारित समय अवधि के लिए की जाती है और इसके बारे में कार्ड मेंबर को सूचित किया जा सकता है, और समय समाप्त होने पर इसे वापस वास्तविक सीमा पर लाया जाता है।
49. “वैध कार्ड” का अर्थ है वह क्रेडिट कार्ड, जिसे बैंक ने जारी किया है और जिसकी अंतिम तिथि अभी पूरी नहीं हुई है, वह क्षतिग्रस्त नहीं है और न ही बैंक या कार्ड सदस्य द्वारा रद्द किया गया है।
50. “हम”, “हमें”, “हमारा” या इसी तरह के सर्वनाम का अर्थ है **Scapia**, उसके उत्तराधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति, प्रशासक, विनिवेशक आदि, जैसा उपयुक्त हो।

Scapia मोबाइल एप्लीकेशन

आप **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से एप्लीकेशन के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं, जिनमें कुछ काम शामिल हैं:

9. अपने ऐप का पिन सेट करना;
10. **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना;
11. क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना;
12. अपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना;
13. अपनी क्रेडिट लिमिट और नकद निकालने की सीमा नियंत्रित करना;
14. ऑनलाइन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल शुरू करना;
15. अपना **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड पिन सेट करना (पॉइंट ऑफ सेल और **ATMs** में इस्तेमाल के लिए);
16. अपने **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड से जुड़े किसी भी मुद्दे या सवाल के लिए शिकायत या पूछताछ करना।

आप सहमति देते और स्वीकार करते हैं कि आप उपरोक्त उद्देश्यों के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के हकदार हैं, बशर्ते कि आपने एप्लीकेशन के नियम एवं शर्तों और हमारी गोपनीयता नीति के लिए स्पष्ट सहमति दी हो। उपरोक्त एप्लीकेशन नियम एवं शर्तों, गोपनीयता नीति, या कार्ड के सामान्य नियमों में कुछ भी वर्णित होने के बावजूद, आप निम्नलिखित को मानते और स्वीकार करते हैं:

5. **Scapia** केवल **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड की बिक्री और वितरण करती है।
6. उपरोक्त बिक्री और वितरण के अलावा, **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी अन्य सेवाएं बैंक के **SDK/API** के माध्यम से **Scapia** द्वारा प्रदान की जाती हैं, और इस अनुसार ऐसे सभी कार्यों की पूरी जिम्मेदारी केवल बैंक की होती है।
7. **Scapia** के पास आपके किसी भी लेन-देन के डेटा की जानकारी नहीं होती है; और
8. **Scapia** द्वारा की जाने वाली कोई भी गतिविधि, जिसमें कार्ड के सामान्य नियमों और **MITC** के तहत **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं, नहीं है जिसके लिए **Scapia** को भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस की आवश्यकता हो। **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड जारी करने से संबंधित सभी लाइसेंस/पंजीकरण बैंक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

समझौता

एक कार्डधारक के रूप में, आप नीचे दिए गए उन नियमों एवं शर्तों के बारे में सहमति देते हैं, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य वैधानिक संस्था के निर्देशों के अनुसार या बैंक की नीतियों में समय-समय पर बदलाव के कारण संशोधित किया जा सकता है।

7. कार्ड केवल तभी मान्य होगा जब आप किसी मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट को एक वैध कार्ड देंगे।
8. यह कार्ड बैंक की संपत्ति है और बैंक द्वारा मांगने पर बिना किसी देरी के देना या सौंपना चाहिए।
9. यह कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, और आपको इसे हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। आप सहमति देते हैं और स्वीकार करते हैं कि, कानून के अनुसार जितना संभव हो, बैंक या **Scapia** कार्ड के दुरुपयोग और आपके व्यक्तिगत नियंत्रण खो देने के कारण हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

10. आप कार्ड का उपयोग केवल भारत में लागू कानूनों के अनुसार, भारतीय रुपये के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में भुगतान के लिए कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत जारी नियम, निर्देश/परिपत्र और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश शामिल हैं ("**FEMA**"). हालांकि, आप कार्ड का उपयोग नेपाल या भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए नहीं कर सकते।
11. कार्ड का उपयोग किसी भी ऐसे लेन-देन के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो भारत या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में गैरकानूनी या अनुचित हो।
12. आप यह भी मानते हैं कि आप कार्ड का उपयोग उन वेबसाइटों पर लेन-देन करने के लिए नहीं करेंगे, जिन्हें भारत के कानूनों के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

कार्ड सेवाएं

आपको जारी किया गया **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड फेडरल बैंक की संपत्ति है। फेडरल बैंक को अधिकार है कि वह (1) कार्ड के सभी लेन-देन के अनुकूल आंतरिक प्रक्रियाएं लागू करे; (2) ग्राहक की क्रेडिट योग्यता जानने के लिए क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट प्राप्त करे; और (3) किसी भी आवेदक को कार्ड जारी करने से अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इंकार करे।

यह कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता और इसका उपयोग यहां बताए गए नियमों तथा समय-समय पर फेडरल बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी अतिरिक्त शर्तों के अधीन है। कार्ड के इन सामान्य नियमों और **MITC** के अतिरिक्त, कार्ड सदस्य बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का भी पालन करेंगे।

बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ("**बैंक कस्टमर केयर सेंटर**") सभी कार्ड मेंबर्स के लिए उपलब्ध है। जो कार्ड मेंबर बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से किसी भी सेवा/सुविधा का उपयोग करते हैं, जैसे कि क्रेडिट लिमिट बढ़ाना, लेन-देन की जानकारी लेना, कुल बकाया राशि देखना, स्टेटमेंट विवरण, भुगतान की अंतिम तिथि आदि, वे हमेशा उन नियमों एवं शर्तों के अधीन रहेंगे, जिन्हें फेडरल बैंक ने इन सेवाओं/सुविधाओं और उन्हें प्राप्त करने के तरीके के संबंध में समय-समय पर संशोधित किया है। आप सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि ग्राहक सहायता में **Scapia** की भूमिका केवल आपका पहला संपर्क बिंदु होने तक सीमित है। **RBI** के निर्देशों के अनुसार, **Scapia** केवल आपकी शिकायतों/सहायता अनुरोधों को बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र तक पहुंचाएगी।

कार्ड की वैधता, समाप्ति और नवीनीकरण

5. आपका कार्ड उस वर्ष के कैलेंडर महीने के अंतिम दिन तक वैध रहेगा जो कार्ड पर लिखा गया है, जब तक कि बैंक निर्धारित तिथि से पहले इसे रद्द न कर दे। यदि कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद भी आप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक किसी भी परिणाम के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. कार्ड की समाप्ति या रद्द होने पर बैंक तय करेगा कि इसे नवीनीकृत किया जाए या फिर से चालू किया जाए। कार्ड की वैधता खत्म होने पर, कार्ड को मैग्नेटिक स्ट्राइप के बीच से काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद इसके खो जाने, इस्तेमाल या दुरुपयोग से होने वाली किसी भी हानि या नुकसान के लिए न तो **Scapia** और न ही फेडरल बैंक जिम्मेदार होंगे, जब तक कि बैंक आपके कार्ड को नवीनीकृत नहीं करता।
7. उपरोक्त के नुकसान के बिना, यदि आप कार्ड के इन सामान्य नियमों और/या **MITC** या बैंक द्वारा कार्ड के संबंध में जारी किसी अन्य नीति/दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो बैंक अपने आप आपके कार्ड की वैधता नवीनीकृत करेगा और वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड की समाप्ति से पहले आपको नया कार्ड भेज देगा। यदि आपको नया कार्ड नहीं मिला है, तो आप बैंक के निर्दिष्ट ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या समय-समय पर आपको सूचित किए गए पते पर बैंक को पत्र लिख सकते हैं।

8. यदि आप वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड को नवीनीकृत नहीं करवाना चाहते, तो आपको कार्ड की समाप्ति से कम से कम 60 (साठ) दिन पहले बैंक को सूचित करना आवश्यक है। यदि आप समय पर सूचना नहीं देते हैं, तो नवीनीकरण शुल्क (जैसा कि नवीनीकरण के समय लागू होगा) आपके कार्ड खाते से लिया जाएगा और यह राशि वापस नहीं की जाएगी।

शुल्क

आप इस बात से सहमत हैं कि आप कार्ड के संबंध में बैंक को निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करेंगे:

- 1.2. **ज्वाइनिंग शुल्क:** बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान दर के अनुसार लगाया जाता है, जो आपको क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय सूचित की जाएगी।
- 1.2. **वार्षिक शुल्क:** बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान दर के अनुसार लगाया जाता है, जिसकी सूचना आपको क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय दी जाएगी और इसके बाद हर वर्ष उसी महीने में लगाया जाता है जब क्रेडिट कार्ड मूल रूप से जारी किया गया था।
- 1.3. **अतिरिक्त कार्ड ज्वाइनिंग फीस और वार्षिक शुल्क:** बैंक द्वारा प्रत्येक अतिरिक्त कार्ड के लिए तय की गई वर्तमान दर के अनुसार लगाया जाता है, जिसकी सूचना आपको अतिरिक्त कार्ड जारी करने के समय दी जाएगी और इसके बाद हर वर्ष उसी महीने में लगाया जाता है जब अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड मूल रूप से जारी किया गया था।
- 1.5 सुविधा शुल्क:

- क. एक बिलिंग साइकिल में बिजली, टेलीकॉम और केबल खर्च पर ₹50,000 से अधिक खर्च करने पर 1% का सुविधा शुल्क लगेगा, साथ ही प्रत्येक लेन-देन पर सुविधा शुल्क ₹3,000 तक, GST को हटाकर, ही लगेगा। इस सीमा में मुख्य और अतिरिक्त कार्डधारक दोनों के खर्चे शामिल होंगे।
- ख. एक बिलिंग साइकिल में फ्यूल पर ₹50,000 से अधिक खर्च करने पर 1% का सुविधा शुल्क और GST लगेगा। प्रत्येक लेन-देन पर अधिकतम सुविधा शुल्क ₹3,000 (GST को छोड़कर) ही लगेगा।
- ग. किराए के भुगतान पर 1% का सुविधा शुल्क और GST लगेगा। प्रत्येक लेन-देन पर अधिकतम सुविधा शुल्क ₹3,000 (GST को छोड़कर) ही लगेगा।
- घ. उल्लिखित शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे और बैंक के निर्णय के अनुसार इनमें बदलाव किया जा सकता है। आपके कार्ड पर लागू होने वाले सभी शुल्कों में किए जाने वाले बदलावों के बारे में आपको पहले ईमेल या SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। फीस और शुल्क का विवरण आपकी मांग पर हमेशा उपलब्ध होता है। यह बैंक की वेबसाइट www.federalbank.co.in पर भी उपलब्ध है।

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड के लाभ:

2. रिवॉर्ड प्राप्त करें

जब आप अपने Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड से लेन-देन करते हैं, तो लेन-देन की राशि और खरीद की श्रेणी के अनुसार आपके कार्ड खाते में रिवॉर्ड्स जोड़ दिए जाएंगे।

- क. रिवॉर्ड्स केवल किसी भी श्रेणी में की गयी सामान्य खरीदारी पर ही मिलेंगे।

ख. रिवॉइस निम्नलिखित लेन-देन पर नहीं मिलेंगे: पैसे भेजने, किराए का भुगतान करने, नकद निकालने, EMI के लेन-देन में, विदेशी मुद्रा के लेन-देन में, शिक्षा और स्कूल की फीस, गिफ्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की वापसी, क्रिप्टो/डिजिटल एसेट लेन-देन, फ्यूल, फ्यूल सरचार्ज, किराया और डिजिटल वॉलेट रिचार्ज/लोडिंग, बीमा, बिजली, टेलीकॉम और केबल। EMI रद्द होने पर, पहले मिले रिवॉइस वापस नहीं मिलेंगे। अयोग्य श्रेणियों के लिए MCCs को नीचे दी गयी तालिका 'रिवॉइस के लिए अयोग्य श्रेणियों का MCC वर्गीकरण' में बताया गया है।

घ. कभी-कभी आप किसी डिजिटल वॉलेट ऐप पर कोई सेवा/उत्पाद खरीदते हैं जो इन-ऐप खरीदारी की सुविधा भी देता है, इससे आपको रिवॉइस नहीं मिलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पहले वॉलेट में पैसा डाला जाता है और फिर उसी से मर्चेट को भुगतान किया जाता है।

ड. वर्तमान में, अपने Scapia फेडरल Visa क्रेडिट कार्ड से ₹20 या उससे अधिक की खरीदारी पर आपको 10% रिवॉइस मिलेंगे। ₹20 से कम की खरीद पर रिवॉइस नहीं दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप ₹48 का रिचार्ज करते हैं, तो आपको 5 रिवॉइस मिलेंगे। ऐसे ही, यदि आप ₹52 खर्च करते हैं, तो आपको 5 रिवॉइस मिलेंगे। साथ ही, वर्तमान में, अपने Scapia फेडरल RuPay क्रेडिट कार्ड पर ₹500 से अधिक के मान्य खर्च पर आपको 5% रिवॉइस मिलेंगे। ₹500 से कम की खरीदारी पर रिवॉइस नहीं दिए जाएंगे।

च. यदि आप Scapia ऐप पर यात्रा संबंधी खरीदारी करते हैं, तो आपको 20% रिवॉइस मिलेंगे। कार्ड से किये गए लेन-देन पर मिले रिवॉइस स्टेटमेंट की तारीख पर 1 रिवॉइ के बदले 1 Scapia कॉइन मिलेगा। रिवॉइस को Scapia कॉइन्स में बदलने का अनुपात बैंक समय-समय पर तय करेगा।

रिवॉइस की अन्य शर्तें:

क. बैंक के पास रिवॉइस प्रोग्राम को पूरी तरह या आंशिक रूप से बदलने का अधिकार है। बैंक के पास रिवॉइस पॉइंट्स के कन्वर्जन रेट को बदलने का अधिकार है, वह दिए गए रिवॉइस पॉइंट्स वापस ले सकता है या यहां दिए गए किसी भी नियम एवं शर्तों में बिना पूर्व सूचना के अपने पूर्ण अधिकार से बदलाव कर सकता है।

ख. यदि इस Scapia रिवॉइस प्रोग्राम का किसी नियम, विनियम, आदेश या किसी वैधानिक प्राधिकरण के साथ द्वंद्व होता है, तो बैंक को इस रिवॉइस प्रोग्राम को आवश्यकतानुसार बदलने या रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।

ग. यदि Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड खाता बकाया, निलंबित या डिफॉल्ट स्थिति में है, या खाते के साथ धोखाधड़ी होने का संदेह है, तो बैंक के पास अर्जित रिवॉइस पॉइंट्स को रद्द या निलंबित करने का अधिकार है।

घ. यदि किसी लेन-देन को रिफंड/चार्जबैक/रीम्बर्समेंट के माध्यम से वापस किया जाता है, तो उसकी राशि आपके Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड खाते में वापस जमा कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में, उन लेन-देन पर मिले रिवॉइस आपके कुल रिवॉइस बैलेंस से घटा दिए जाएंगे।

ड. यदि कोई उत्पाद/सेवा प्रदाता आपको दिए गए उत्पाद या सेवाओं को वापस लेता है, रद्द करता है या उनमें बदलाव करता है, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

च. Scapia रिवॉइस प्रोग्राम में शामिल मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट्स द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों/सेवाओं की क्वालिटी के लिए बैंक कोई गारंटी नहीं देता।

छ. कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक खरीद को नेटवर्क द्वारा निर्धारित मर्चेट कैटेगरी कोड ("MCC") के आधार पर अलग-अलग 'श्रेणी' में रखा जाता है। इसके अनुसार, मर्चेट द्वारा अधिगृहीत बैंक उन्हें उनकी सेवा के अनुसार अलग-अलग श्रेणी में रखता है। उदाहरण के लिए, खाना, खरीदारी, यात्रा, मनोरंजन, ग्रासरी, बिल, फ्यूल आदि। इस MCC वर्गीकरण को तय करने में Scapia की कोई भूमिका नहीं है।

तालिका: रिवॉइस के लिए अयोग्य श्रेणियों का MCC वर्गीकरण	
श्रेणी	MCCs
लोडिंग ई-वॉलेट	6540
फ्यूल ट्रांज़ेक्शन	5541, 5542, 5983, 5172
रेंट पेमेंट	6513
शिक्षा और स्कूल की फीस	8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299
सरकारी सेवाएं	9099 से 9999
व्यावसायिक सेवाएं	7399, 7311, 7372, 7538, 7392
क्रिप्टो और वित्तीय संस्थान	6051, 6012, 6011
बिजली/पानी के बिल का भुगतान	4900, 4812, 4814, 4816
इंश्योरेंस का भुगतान	6300

2. विदेशी मुद्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं: विदेश में खरीदारी करते समय **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड धारकों से विदेशी मुद्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

3. ऑफर्स:

क. **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्डधारकों को समय-समय पर पार्टनर मर्चेन्ट्स से विशेष छूट/ऑफर मिलेंगे।

ख. ऑफर की पूरी शर्तें और पात्रता की जानकारी **Scapia** ऐप पर दिखाई जाएगी।

ग. यदि इस प्रोग्राम के तहत लाभ लेने के उद्देश्य से या कार्ड का उपयोग करके किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधि पाई जाती है, तो बैंक के पास अधिकार होगा कि वह कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना उसे ऑफर का लाभ लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दे।

घ. भाग लेने वाले मर्चेन्ट्स के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं के वितरण में होने वाली किसी भी देरी या नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

ड. जहां अनुमति नहीं है या जिन सामान/उत्पाद/सेवाओं पर किसी भी कारण से ऐसे प्रोग्राम लागू नहीं किए जा सकते, वहां कार्ड ऑफर उपलब्ध नहीं होंगे।

क्रेडिट लिमिट

- बैंक अपने विवेकाधिकार से आपकी क्रेडिट लिमिट तय करेगा और समय-समय पर आपको इसकी जानकारी देगा। हालांकि, आप अपने कार्ड खाते और अतिरिक्त कार्ड मेंबर के लिए कम क्रेडिट लिमिट का अनुरोध कर सकते हैं। अतिरिक्त कार्ड मेंबर को दी गई क्रेडिट लिमिट हर बिलिंग साइकिल के बाद फिर से पहले जैसी कर दी जाएगी। आपकी क्रेडिट लिमिट और स्टेटमेंट की आखिरी तारीख तक बची हुई रकम, दोनों आपकी मासिक स्टेटमेंट में दिखेंगी। बैंक अपने विवेकाधिकार से या आपके अनुरोध पर आपकी क्रेडिट लिमिट की समय-समय पर जांच कर सकता है और आपकी योग्यता के अनुसार उसे बढ़ा या घटा सकता है।
- मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट्स पर कार्ड का उपयोग बैंक द्वारा तय की गई क्रेडिट लिमिट तक ही किया जा सकेगा। यदि बैंक द्वारा अतिरिक्त कार्ड जारी किए गए हैं, तो उन कार्डों का उपयोग भी मुख्य कार्ड खाते की क्रेडिट लिमिट तक ही सीमित रहेगा। किसी भी समय आपके कार्ड खाते का बकाया आपकी क्रेडिट लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो

- बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान दर के अनुसार आपसे शुल्क लिया जाएगा, चाहे आपने क्रेडिट लिमिट कितनी भी राशि से पार की हो। आपको खर्च की गई अतिरिक्त राशि का भुगतान तुरंत करना होगा। उपरोक्त शुल्क बैंक अपने विवेकाधिकार से बदल सकता है।
8. यदि आपके कार्ड को आप स्वयं या बैंक किसी भी कारण से रद्द कर देते हैं, तो आपकी क्रेडिट लिमिट और कार्ड खाता भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप नियत तारीख तक न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो बैंक के पास पूरा अधिकार होगा कि वह तब तक कार्ड की सुविधा को रोके जब तक आपका कार्ड खाता नियमित नहीं हो जाता।
 9. अगर आप मासिक स्टेटमेंट में दिखाई गयी बकाया राशि से ज्यादा का भुगतान करते हैं, तो उस अतिरिक्त राशि पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर क्रेडिट लिमिट अधिक हो जाए, तो ग्राहक से पूछा जाएगा कि वे इसे बकाया राशि में जोड़ना चाहते हैं या अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहते हैं। अगर ग्राहक अपनी पसंद नहीं बताते हैं, तो अतिरिक्त राशि अपने आप वापस कर दी जाएगी।
 10. आपके क्रेडिट कार्ड पर दी गयी अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखाती है कि आप विदेश में खरीदारी (ऑनलाइन सहित) या **ATM** इस्तेमाल की अधिकतम सीमा इस्तेमाल कर सकते हैं।

कार्ड का इस्तेमाल

20. कार्ड मिलने के बाद, आपको तुरंत कार्ड के पीछे छपे सिग्नेचर पैनल पर साइन करना चाहिए।
21. कार्ड का उपयोग केवल वास्तविक व्यक्तिगत जरूरतों या सामान और/या सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। आप कार्ड का उपयोग किसी भी चीज़ को खरीदकर उसे व्यापारिक या व्यावसायिक उद्देश्य से बेचने के लिए या किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं कर सकते।
22. अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग प्रतिबंधित सामान खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता, जैसे लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या वर्जित पत्रिकाएं, स्वीपस्टेक्स में भाग लेना, कॉल-बैक सेवाओं का भुगतान, और ऐसी सामान/गतिविधियां जिनके लिए विदेशी मुद्रा के उपयोग की अनुमति नहीं है।
23. लेन-देन करते समय आपको चार्ज स्लिप, कैश एडवांस स्लिप या मेल ऑर्डर कूपन पर साइन करना और/या उसे लेना ज़रूरी है। अगर आप चार्ज स्लिप पर साइन नहीं करते हैं, तो भी इस लेन-देन की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आपको छह महीनों तक चार्ज स्लिप्स की कॉपी संभालकर रखनी चाहिए। आपके अनुरोध पर, बैंक अपने विवेकाधिकार से, चार्ज स्लिप्स की कॉपी प्रदान कर सकता है और इसके लिए वर्तमान दर के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
24. बैंक किसी भी समय, पूर्व सूचना दिए बिना या बिना कोई कारण बताए, किसी मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट पर लेन-देन की अनुमति देने से इंकार कर सकता है और/या कार्ड का उपयोग सीमित कर सकता है या रोक सकता है, और/या कार्ड को निलंबित या रद्द कर सकता है। बैंक **ATM**, मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट के द्वारा या स्वयं ही कार्ड को जब्त कर सकता है, यदि बैंक को लगता है कि क्रेडिट या व्यापारिक जोखिम को सही ढंग से संभालने के लिए यह ज़रूरी है, या कार्ड/कार्ड खाते का दुरुपयोग हो रहा है या हो सकता है। आप ऊपर दी गयी बातों से सहमत हैं।
25. कार्ड खाते से जुड़े किसी भी लेन-देन के लिए बैंक को प्राप्त चार्ज स्लिप या अन्य भुगतान अनुरोध इस बात का पक्का प्रमाण माना जाएगा कि उस पर दर्ज राशि आपके द्वारा कार्ड का उपयोग करके खर्च की गई है। अगर मेल ऑर्डर या फोन ऑर्डर या ऑनलाइन खरीदारी में चार्ज स्लिप या वाउचर उपलब्ध नहीं है, और आप उस लेन-देन पर विवाद करते हैं, तो पहले आपको कार्ड का बकाया चुकाना होगा और फिर संबंधित मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट से सीधे मामला सुलझाना होगा। इसके लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
26. कुछ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर बैंक द्वारा समय-समय पर बताया गया अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है और इसकी राशि समय-समय पर बदल सकती है।
27. मासिक स्टेटमेंट में दिखाए गए खर्च को आपके द्वारा किया गया खर्च माना जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट में दिखाए गए किसी खर्च से सहमत नहीं हैं, तो आपको स्टेटमेंट की तारीख से **60 (साठ)** दिनों के अंदर बैंक को लिखित में बताना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो वह खर्च सही माना जाएगा और आपको उसका भुगतान करना होगा।
28. यदि कोई मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट कार्ड स्वीकार करने से मना करता है या कार्ड पर अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) लगाता है, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, कार्ड धारक को इस संबंध में अपनी शिकायत बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित पते पर या निर्धारित ग्राहक सेवा केंद्र पर दर्ज करानी चाहिए।

29. बैंक किसी भी प्रकार से उन वस्तुओं, उनकी कीमत, दर, गुणवत्ता, वारंटी, विशेषाधिकार, लाभ, सुविधाओं तथा सेवाओं में किसी भी कमी/देरी, डिलीवरी या गैर-डिलीवरी आदि के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, जिन्हें आपने किसी मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट और/या थर्ड पार्टी के सप्लायर्स से खरीदा या प्राप्त किया हो, जिसमें आपके द्वारा मेल ऑर्डर या टेलीफोन ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (जैसे इंटरनेट) के माध्यम से किए गए ऑर्डर भी शामिल हैं। इससे संबंधित किसी भी विवाद को सीधे आपके द्वारा मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट/थर्ड पार्टी के सप्लायर्स के साथ सुलझाया जाना चाहिए, और ऐसा न करने पर भी बैंक के प्रति आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी।
30. किसी मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध आपका कोई भी दावा बैंक के खिलाफ समायोजन या प्रतिदावा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
31. बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बिना किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लिए, कार्ड को निलंबित या रद्द कर सकता है। कार्ड और इस कार्ड मेंबर एग्रीमेंट के समाप्त होने पर उससे जुड़े सभी विशेषाधिकार, लाभ और सुविधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
32. आपको खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं, जैसे हवाई या रेल टिकट आदि का भुगतान स्टेटमेंट में दी गयी राशि के अनुसार करना होगा, भले ही बाद में वह खरीद रद्द कर दी गई हो। ऐसा न करने पर ब्याज या अन्य शुल्क लग सकते हैं। कैंसिल करने के कारण मिलने वाले रिफंड की राशि (कैंसिलेशन शुल्क घटाकर) तभी आपके कार्ड खाते में जमा की जाएगी जब बैंक को वह राशि प्राप्त होगी। आपको केश रिफंड नहीं मिलेगा। यदि उचित समय के भीतर स्टेटमेंट में रिफंड दिखाई नहीं देता है, तो आपको तुरंत बैंक को सूचित करना होगा।
33. आप कानूनों, नियमों, विनियमों और इस कार्ड मेंबर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करके कार्ड के उपयोग की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। आप यह भी सहमति देते हैं कि आपके किसी कार्य, चूक/लापरवाही और भूल के कारण यदि बैंक को कोई हानि, नुकसान, ब्याज, कन्वर्जन, अन्य फाइनेंस शुल्क, खर्च या किसी प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो उनकी भरपाई आप करेंगे।
34. बैंक द्वारा आपको प्रदान की गई सेवाओं पर लगाए गए किसी भी वैधानिक देय का भुगतान करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी।
35. आप सहमति देते हैं और बैंक को अधिकृत करते हैं कि आपके द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च को बैंक समय-समय पर निर्धारित विनियम दर के अनुसार भारतीय रुपये में परिवर्तित कर सकता है।
36. आप स्वीकार करते हैं कि कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदे गए सामान तब तक बैंक की संपत्ति रहेंगे, जब तक कि उसके शुल्क बैंक का भुगतान बैंक को पूरी तरह नहीं किया जाता।
37. बैंक के पास अधिकार है कि वह आंतरिक जोखिम निगरानी और धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली पर आधारित नियमों के अनुसार किसी भी लेन-देन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
38. स्कैपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड पर मेल ऑर्डर/टेलीफोन ऑर्डर (MOTO) लेनदेन की अनुमति है; तथापि, कार्डधारकों को ऐसे लेनदेन के लिए कार्ड विवरण प्रदान करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। कार्ड नेटवर्क (Visa/RuPay) संबंधित लेनदेन की जानकारी फेडरल बैंक के साथ साझा करेगा। कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सत्यापित और विश्वसनीय व्यापारियों के साथ ही लेनदेन करें, क्योंकि कार्ड विवरण के अनजाने में प्रकटीकरण से उत्पन्न किसी भी अनधिकृत या धोखाधड़ीपूर्ण MOTO लेनदेन के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

कैश एडवांस

4. आप इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक के **ATMs**, चयनित पार्टनर बैंकों के **ATMs** तथा बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य स्थानों/स्वीकृत संस्थानों से नकद निकालने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाने पर डिमांड ड्राफ्ट जैसी अन्य नकद-समतुल्य सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कैश एडवांस और नकद-समतुल्य लेन-देन के लिए आपको लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जिनमें विदेशी मुद्रा कानून तथा उसके अंतर्गत **RBI** और अन्य सरकारी निकायों द्वारा जारी नियम शामिल हैं। कैश एडवांस के लिए बैंक द्वारा दिया गया **ATM** कोड/पिन आप किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएंगे और इसे सुरक्षित रखने के लिए पूरी सावधानी बरतेंगे।
5. आप अपनी उपलब्ध कैश लिमिट के अनुसार, बैंक द्वारा समय-समय पर बताई गई सीमा तक कैश एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। यह कैश एडवांस संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार होगा, जो ऐसे लेनदेन पर लागू होते हैं।

6. कैश एडवांस पर लगने वाले शुल्क, जैसे ट्रांज़ैक्शन चार्ज, हैंडलिंग चार्ज आदि, **MITC** में बताए गए शर्तों एवं नियमों के अनुसार होंगे। बैंक इन शुल्कों को अपने विवेकाधिकार से बदल सकता है। साथ ही, ये शुल्क पैसे निकालने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक लागू रहेंगे।

बिलिंग और निपटान

14. यदि आपके कार्ड खाते में किसी बिलिंग अवधि के दौरान **₹200** (दो सौ रुपए) से अधिक की कोई गतिविधि या बकाया राशि होगी, तो बैंक हर महीने आपके द्वारा दिए गए ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट डाउनलोड करने का लिंक भेजेगा। भुगतान की अंतिम तिथि बिलिंग तिथि से अधिकतम **18** (अठारह) दिनों के भीतर होगी।
15. बैंक आपके द्वारा किए गए सभी खर्चों को कार्ड खाते में डेबिट करेगा और आपके द्वारा किए गए सभी भुगतानों और मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट्स से प्राप्त क्रेडिट को आपके कार्ड खाते में क्रेडिट करेगा।
16. बैंक हर महीने कार्ड मेंबर द्वारा किए गए लेनदेन और/या भुगतान और/या प्राप्त क्रेडिट के आधार पर स्टेटमेंट जारी करेगा। प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए दी गयी इस मासिक स्टेटमेंट में वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीदारी, कैश एडवांस, फीस, **GST** और अन्य शुल्क के साथ ही आपके भुगतान और क्रेडिट की जानकारी दी जाएगी। इसमें कुल बकाया राशि और न्यूनतम देय राशि भी दिखाई जाएगी, जिसका आपको भुगतान करना है। आपको कम से कम न्यूनतम देय राशि का भुगतान स्टेटमेंट में दी गई अंतिम तिथि तक बैंक को कर देना चाहिए। आपका खाता तभी क्रेडिट होगा जब बैंक को आपसे या आपके बैंक से क्लियर फंड्स का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई राशि समय पर जमा नहीं होती या आपकी क्रेडिट लिमिट से अधिक खर्च हो जाता है, तो वह राशि तुरंत देय होगी। कृपया ध्यान रखें, यदि आप हर महीने केवल न्यूनतम राशि ही भरते हैं, तो पूरा भुगतान करने में कई साल लग सकते हैं और बकाया राशि पर ब्याज भी लगातार लगता रहेगा।
17. आप मासिक स्टेटमेंट में दर्शाई गई न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं और शेष राशि को अगले बिलिंग साइकिल में आगे बढ़ा सकते हैं। बैंक अपने विवेकाधिकार से न्यूनतम देय राशि निर्धारित करेगा।
18. यदि आप भुगतान की अंतिम तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड (अस्थायी या स्थायी रूप से) निलंबित/रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक अपने विवेकाधिकार से विलंब शुल्क या अन्य शुल्क भी लगा सकता है। बैंक अपने विवेकाधिकार से मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट्स को यह निर्देश भी दे सकता है कि वे आपके क्रेडिट कार्ड को स्वीकार न करें और/या आवश्यकता पड़ने पर कार्ड को जब्त कर लें। इसके लिए बैंक समय-समय पर चेतावनी सूची में कार्ड नंबर शामिल कर सकता है या अन्य उचित कदम उठा सकता है।
19. आप **E-NACH** के माध्यम से बैंक को यह अनुमति दे सकते हैं कि वह आपके बैंक या किसी अन्य बैंक में रखे गए खाते से राशि सीधे डेबिट करके आपके कार्ड खाते में जमा कर दें। यदि आप **E-NACH** सुविधा लेना चाहते हैं, तो बैंक आपको इसके लागू नियम एवं शर्तों की जानकारी अलग से देगा।
20. आउटस्टेशन चेक/ड्राफ्ट, यानी ऐसे शहरों में देय चेक/ड्राफ्ट जो बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए निर्दिष्ट शहरों के अलावा हों, अनुरोध पर स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन इस पर प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। आउटस्टेशन चेक की प्रोसेसिंग फीस का विवरण प्रभागों की सूची में दिया गया है। ऐसे शहरों की सूची और प्रोसेसिंग शुल्क बैंक अपने विवेकाधिकार से बिना पूर्व सूचना के बदल सकता है।
21. यदि आपका कोई भुगतान साधन बाद में अस्वीकार हो जाता है, तो बैंक आपके कार्ड की सुविधाएं निलंबित/ समाप्त कर सकता है। साथ ही, प्रभागों की सूची में बताए गए अनुसार यह शुल्क आपके कार्ड खाते में लगाया जाएगा। यह शुल्क बैंक अपने विवेकाधिकार से बदल सकता है। बैंक आवश्यक होने पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
22. आपके कार्ड खाते में प्राप्त सभी भुगतान को बैंक अपने इंटरनल अकाउंटिंग और क्रेडिट नियमों के अनुसार समायोजित कर सकता है। भले ही आपने या किसी अन्य व्यक्ति ने भुगतान के उपयोग के बारे में कोई विशेष निर्देश दिए हों, बैंक उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।
23. बैंक आपके अनुरोध से पहले के अधिकतम **12** महीनों तक के डुप्लीकेट मासिक स्टेटमेंट उपलब्ध कराएगा। इसके लिए प्रभागों की सूची में बताए अनुसार सेवा शुल्क देना होगा, जिसे बैंक अपने विवेकाधिकार से बदल सकता है।
24. यदि आप अपने **NRO** खाते से भुगतान कर रहे हैं, तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि यह भुगतान आपके **NRO** खाते में भारत में प्राप्त वैध आय से किया जा रहा है। यह राशि किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या किसी अन्य **NRO** खाते से ट्रांसफर करके

नहीं होनी चाहिए। यदि आप इस पुष्टि का उल्लंघन करते हैं, तो आपके खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (**FEMA**) के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। आप यह भी पुष्टि करते हैं कि किसी एक वित्तीय वर्ष में **NRO** खाते से विदेश भेजी गई राशि, **NRO** से **NRE** खाते में ट्रांसफर की गई राशि, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान, या किसी अन्य अनुरोध के तहत ट्रांसफर की गई कुल राशि **USD 1,000,000** (एक मिलियन अमेरिकी डॉलर) या उसके समकक्ष से कम है।

25. यदि क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान के लिए **NRO** खाते से राशि डेबिट की गई है, तो आप यह पुष्टि करते हैं कि भारत में कर योग्य आय पर लागू कर, **CBDT** के नियमों के अनुसार चुका दिए गए हैं। आप यह भी पुष्टि करते हैं कि कार्डधारक और **NRO** खाते का धारक एक ही व्यक्ति है।
26. वर्तमान में **E-NACH**, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है। ग्राहक, बैंक द्वारा समय-समय पर **Scapia** ऐप में उपलब्ध कराए गए विकल्पों के माध्यम से ही भुगतान कर सकते हैं।

फाइनेंस शुल्क

8. फाइनेंस शुल्क सभी खर्चों पर, जिसमें कैश एडवांस भी शामिल हैं, लेनदेन की तारीख से लेकर पूरा भुगतान होने तक लागू होंगे।
9. कैश एडवांस और दूसरे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर पर व्याज तुरंत लगना शुरू हो जाता है, कैश निकालने या बैंक चेक जारी होने की तारीख से खरीदारी पर फाइनेंस शुल्क अलग नियम से लागेगा। वहीं, खरीदारी पर फाइनेंस शुल्क तभी लागू होगा जब कुल बकाया राशि या उसका कोई हिस्सा भुगतान की अंतिम तिथि तक पूरा न भरा जाए और पिछले बिलिंग साइकिल से अगले बिलिंग साइकिल में आगे बढ़ाया जाए।
10. यदि आपको कोई फाइनेंस शुल्क देना है, तो बैंक उसे हर स्टेटमेंट की आखिरी तारीख को आपके कार्ड से ले लेगा और स्टेटमेंट में दिखाएगा।
11. आप सहमत हैं कि आपके कार्ड पर जो भी बकाया रहेगा, उस पर बैंक जो फाइनेंस शुल्क तय करेगा, वह आपको देना होगा और बैंक समय-समय पर इसे बदल भी सकता है।
12. कुछ सेवाओं, जैसे बैलेंस ट्रांसफर पर लगने वाला फाइनेंस शुल्क अलग हो सकता है, और बैंक समय-समय पर इसकी जानकारी देगा।
13. जैसा कि ऊपर बताया गया, कार्ड खाते की शर्तें खत्म हो जाने या आपका कार्ड बंद हो जाने पर भी आपके बकाया पर जो भी फाइनेंस शुल्क लगे हैं, उनका पूरा भुगतान आपको करना होगा।
14. बैंक अपने विवेकाधिकार से, आपको सूचित करते हुए, किसी भी समय अपनी सभी या कुछ सुविधाओं के लिए फाइनेंस शुल्क बदल सकता है।

विदेशों में लगने वाले शुल्क

कार्ड सदस्य यह स्वीकार करता है और घोषणा करता है कि अगर वह अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल विदेश में करता है, तो उसे इसका इस्तेमाल **RBI** द्वारा जारी किये गए संबंधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों के अनुसार ही करना होगा। यह नियम समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। यदि कार्ड सदस्य **RBI** के विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों से ज्यादा पैसा खर्च कर देता है, तो कार्ड मेंबर को तुरंत बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। कार्ड मेंबर इस बात से सहमत है कि अगर **RBI** के नियमों के अनुसार विदेश में किए गए खर्च के लिए उसके पासपोर्ट पर कुछ नोट करना आवश्यक हो, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्ड मेंबर की होगी। यदि कार्ड मेंबर **RBI** द्वारा जारी वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों का पालन नहीं करता है, तो वह समय-समय पर संशोधित **FEMA** के तहत किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा, और बैंक या **RBI** के निर्देश पर उसका कार्ड बंद भी किया जा सकता है। अगर आपने **RBI** के विदेशी मुद्रा नियमों की सीमा से ज्यादा खर्च किया और इसलिए कोई लेन-देन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकृत हो गया, तो बैंक या **Scapia** इस नुकसान या परेशानी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई लेन-देन भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो वह लेन-देन भारतीय रुपये में बदल दिया जाएगा। मुद्रा बदलने की प्रक्रिया उस दिन की जाएगी जब लेन-देन बैंक के साथ निपटाया जाएगा, पर यह जरूरी नहीं कि यह निपटान उसी दिन हो जब लेन-देन किया गया था। अगर लेन-देन अमेरिकी डॉलर में नहीं किया गया है, तो बैंक पहले उसे डॉलर में बदलेगा और फिर डॉलर को रुपये में बदलेगा।

देर से भुगतान करने की फीस

यदि आप मासिक स्टेटमेंट में दिखाई गयी न्यूनतम देय राशि का भुगतान अंतिम तिथि तक नहीं करते हैं, तो प्रभारों की सूची में बताए गए अनुसार आपके कार्ड खाते में विलंब शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है और बैंक समय-समय पर आपको इसकी जानकारी देगा।

अन्य फीस/शुल्क

आप सहमत हैं कि आप बैंक द्वारा लगाए/वसूले गए सभी खर्चों का भुगतान करेंगे, जिनमें कार्ड रिन्यू करने का शुल्क, कार्ड बदलने का शुल्क, डुप्लीकेट स्टेटमेंट शुल्क, कैश एडवांस पर लेन-देन शुल्क, आउटस्टेशन कलेक्शन शुल्क, कानूनी खर्च, और अन्य कोई भी फीस/शुल्क शामिल हैं।

GST

आप सहमत हैं कि निर्धारित शुल्कों, फाइनेंस शुल्कों, अन्य फीस/शुल्कों आदि पर पर सरकार के नियमों के अनुसार **GST** लगेगा, और आपको इसे समय-समय पर चुकाना होगा।

व्यक्तिगत पहचान संख्या

कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए कार्ड मेंबर को एप्लीकेशन पर एक पिन बनाना होगा। बाद में, कार्ड मेंबर, बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमति दिए गए चैनलों के माध्यम से अपने जोखिम पर पिन बदल सकता है। इस पिन से आप कार्ड खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने, इसे गोपनीय और सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी कार्ड मेंबर की है। इसके ज़रिए किए गए सभी ऑर्डर और जानकारी में बदलावों के लिए भी कार्ड मेंबर ही जिम्मेदार होगा। कार्ड मेंबर किसी भी रूप में पिन को लिखेगा नहीं क्योंकि इससे पिन की जानकारी किसी थर्ड पार्टी को पता लग सकती है। कार्ड मेंबर बैंक को यह अधिकार देता है कि वह आपके पिन से प्रमाणित किए गए लेन-देन और निर्देशों को पूरा करे, और आप इस अधिकार को वापस नहीं ले सकते। बैंक सिर्फ आपके पिन के ज़रिए जांच करेगा कि लेन-देन सच में आपके द्वारा किया गया है। यह बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि वह कार्ड मेंबर द्वारा भेजे गए या भेजे जाने का दावा किए गए लेन-देन निर्देश की प्रामाणिकता की जांच करे। कार्ड मेंबर को हर समय पिन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने होंगे, जिनमें यहां बताए गए कदम भी शामिल हैं। यदि कार्ड मेंबर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, तो इससे होने वाले सभी नुकसान, हानि की जिम्मेदारी केवल कार्ड मेंबर की होगी। बैंक अपने विवेकाधिकार से, यहां बताए गए प्रावधानों और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार मौजूदा कार्ड पर नया पिन जारी कर सकता है। कार्ड मेंबर बैंक या **Scapia** को कार्ड और/या पिन सहित किसी भी अनुचित/धोखाधड़ीपूर्ण/अनधिकृत/डुप्लिकेट/गलत उपयोग के मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। बैंक और **Scapia** किसी भी थर्ड पार्टी द्वारा कार्ड के उपयोग/दुरुपयोग से जुड़े परिणामों के लिए भी जिम्मेदार नहीं होंगे, चाहे कार्ड किसी थर्ड पार्टी के हाथ लग गया हो या पिन किसी थर्ड पार्टी को पता चल गया हो। यदि कोई थर्ड पार्टी आपके कार्ड या खाते का इस्तेमाल कर लेता है, तो इसके लिए कार्ड मेंबर जिम्मेदार होगा तथा बैंक और **Scapia** को इस वजह से होने वाले किसी भी नुकसान या खर्च से बचाएगा।

सूचना

आप सहमत हैं कि बैंक समय-समय पर **SMS** और/या ईमेल या किसी अन्य संचार माध्यम से आपके कार्ड खाते की स्थिति के बारे में आपको सूचित करता रहेगा और अन्य आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा, तथा आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

ग्राहक सहायता सेवाएं

8. बैंक आपको टेलीफोन के माध्यम से निर्देश देकर आपको कार्ड खाते की जानकारी, लेन-देन करने की सुविधा तथा संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। बैंक इन निर्देशों को मैन्युअल रूप से या ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से स्वीकार कर सकता है। हालांकि, बैंक अपने विवेकाधिकार से यह तय कर सकता है कि टेलीफोन के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी/लेन-देन की अनुमति दी जाएगी। बैंक के पास आपके अनुरोध को प्रोसेस करने से पहले आपकी पहचान की पुष्टि करने का अधिकार है। इस सुविधा के उपयोग के लिए आपको एक विशेष टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (TPIN) भी प्रदान किया जा सकता है।
9. आप सहमत हैं कि ऐसे निर्देशों पर बैंक द्वारा सद्भावना में की गई कार्रवाई के लिए आप बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।
10. बैंक अपने विवेकाधिकार से ऐसे निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उन टेलीफोनिक निर्देशों की प्रतिलिपि पर भरोसा कर सकता है।
11. ऐसे निर्देशों का पालन करते समय बैंक अपने सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर कार्य करेगा और आपके किसी भी निर्देश पर तुरंत या बिल्कुल भी कार्रवाई न कर पाने या उसमें हुई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
12. यदि बैंक को लगे कि यह निर्देश सही नहीं हैं, तो बैंक ऐसे निर्देशों का पालन न करने से मना कर सकता है और इस सुविधा को वापस लेने या रोकने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
13. यदि बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन के विवरण में कोई गलती या अंतर हो, तो बैंक से सूचना मिलने के दस दिनों के अंदर आपको इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी।
14. बैंक आपको यह सुविधा देता है और आप सहमत हैं कि इस सुविधा के उपयोग से बैंक को यदि कोई कार्रवाई, दावा, मांग, कानूनी कार्यवाही, नुकसान, हानि, शुल्क और अन्य खर्चे उठाने पड़े, तो उसके लिए आप भरपाई करेंगे और बैंक को किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से सुरक्षित रखेंगे।

अस्वीकृत भुगतान

यदि कार्ड मेंबर द्वारा अपने कार्ड बकाया के भुगतान के लिए दिया गया चेक या कोई अन्य भुगतान साधन या निर्देश स्वीकार नहीं होता, या प्रोसेस न हो पाने के कारण वापस कर दिया जाता है, तो बैंक के पास कार्ड मेंबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके लिए बैंक अपने विवेकाधिकार से शुल्क लगा सकता है और/या कार्ड को अस्थायी/स्थायी रूप से कैसिल कर सकता है। कार्ड मेंबर को चेक रिटर्न शुल्क और विलंब भुगतान शुल्क या बैंक द्वारा तय किए गए अन्य किसी भी शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

खोए या चोरी हुए कार्ड

8. यदि कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, प्राप्त नहीं हुआ है या आपकी अनुमति के बिना उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको इसके बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। कार्ड खोने/चोरी होने आदि के मामले में, आपको तुरंत पुलिस में शिकायत /फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के बाद उसकी प्रति के साथ आपको तुरंत लिखित रूप में बैंक को सूचना देनी होगी।
9. लिखित सूचना देने से पहले, आप कार्ड के खोने/चोरी होने की जानकारी बैंक को फोन पर भी दे सकते हैं। उचित जांच के बाद बैंक अस्थायी रूप से आपके कार्ड खाते को बंद कर देगा, लेकिन इससे आपको या आपके खाते को हुई किसी भी असुविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
10. बैंक को जानकारी/ सूचना देने से पहले आपके क्रेडिट कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग की जिम्मेदारी आपकी होगी। बैंक को सूचना प्राप्त होने के बाद ही आपकी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी।
11. कार्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और उसे सुरक्षित रखने के लिए आपको सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। कार्ड के किसी भी गलत उपयोग के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक को लगता है कि आपने कार्ड की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए, तो खोए या चोरी हुए कार्ड से हुए नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपका कार्ड खाता कैसिल भी किया जा सकता है।
12. किसी भी विवादित लेन-देन की जांच के दौरान आपको बैंक, उसके प्रतिनिधि और/या कानूनी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा।
13. यदि बाद में आपको आपका कार्ड मिल जाता है, तो उस कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे मैग्नेटिक स्ट्राइप के बीच से काटकर तुरंत बैंक को वापस करना चाहिए।

14. बैंक को कार्ड खोने/चोरी/खराब होने की सूचना देने के बाद हुए किसी भी लेन-देन के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। हालांकि, यदि सूचना देने के समय या सूचना के बाद हुए लेन-देन को लेकर कोई विवाद होता है, तो बैंक को उस समय की पुष्टि करने और विवादित लेन-देन की सत्यता जांचने का अधिकार होगा। ब्लॉक किए गए कार्ड का उपयोग आप किसी भी लेन-देन के लिए तब तक नहीं कर सकते, जब तक आपको नया (रिप्लेसमेंट) कार्ड प्राप्त नहीं हो जाता।

वसूली

बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बकाया राशि वसूलने और/या उसके द्वारा दी गई किसी भी सुरक्षा को लागू करने के लिए कार्ड मेंबर के जोखिम और खर्च पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करे। बैंक (इन उद्देश्यों के लिए) ऐसे व्यक्तियों को कार्ड मेंबर और उसकी सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी, तथ्य और विवरण प्रदान कर सकता है, जैसा बैंक उचित समझे। बैंक ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को इससे संबंधित या उससे जुड़े सभी कार्य, दस्तावेज और आवश्यक काम करने का अधिकार भी दे सकता है, जैसा बैंक उचित समझे।

वस्तुओं और सेवाओं की क्वालिटी

कार्ड मेंबर द्वारा किसी भी मर्चेट से खरीदे गए सामान, उसकी वारंटी या ली गई सेवाओं, डिलीवरी में देरी, सामान न मिलना, सामान प्राप्त न होना या खराब सामान मिलने की स्थिति में बैंक किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड केवल कार्ड मेंबर को सामान खरीदने और/या सेवाएं लेने की एक सुविधा है, सामान की गुणवत्ता, डिलीवरी या किसी अन्य चीज के लिए बैंक कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देता। सामान से संबंधित किसी भी विवाद या दावे का समाधान कार्ड मेंबर को सीधे मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट के साथ करना होगा। कोई विवाद या दावा होने पर भी कार्ड मेंबर को बैंक को सभी शुल्क का भुगतान करना होगा और कार्ड धारक सहमत है कि वह सभी शुल्कों का भुगतान समय पर करेगा।

थर्ड पार्टी/ सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति

5. बैंक अपने विवेकाधिकार से फोन या किसी अन्य माध्यम से सेवा देने के लिए थर्ड पार्टी/ सेवा प्रदाताओं को नियुक्त कर सकता है। बैंक कार्ड मेंबर द्वारा दी गयी जानकारी की जांच, क्रेडिट ब्यूरो से सत्यापन, क्रेडिट जांच, कार्ड की बकाया राशि की वसूली या कानून के अनुसार बकाया वसूलने, लेकिन इन तक सीमित नहीं, के लिए अन्य कार्रवाई करने हेतु भी थर्ड पार्टी को नियुक्त कर सकता है। ऐसे थर्ड पार्टी/ सेवा प्रदाताओं को वसूली के लिए किया गया भुगतान आपके खर्च और जोखिम पर होगा। साथ ही, बकाया राशि की वसूली में बैंक द्वारा किए गए सभी खर्च, शुल्क और लागत का भुगतान भी आपको ही करना होगा।
6. यदि बकाया राशि की वसूली के लिए मामला किसी एजेंट को देना पड़े या भुगतान की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, तो उससे जुड़े सभी खर्च, कानूनी खर्च और उन पर लगने वाले ब्याज का भुगतान आपको करना होगा।
7. आप स्पष्ट रूप से मानते / सहमति देते हैं कि बैंक आपके द्वारा दिए गए डेटा / दस्तावेज थर्ड पार्टी/ सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकता है। यह डेटा/दस्तावेज केवल निर्धारित और सीमित उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाएंगे और कार्ड खाता बंद होने के बाद इन्हें हटा दिया जाएगा।

संस्था का नाम	भूमिका	विवरण
Lentra AI Pvt. Ltd.	पात्रता निर्धारण प्रणाली	आपके क्रेडिट कार्ड की पात्रता की जांच के लिए आपकी PII जानकारी Lentra के साथ साझा की जाएगी।
Karza Technologies Pvt. Ltd.	V-KYC बेंडर	आपका PII डेटा KYC मानकों का पालन करने के लिए साझा किया जाएगा।
The Unique Identification Authority of India	E-KYC	
Scapia Technology Private Limited	रिवॉर्ड पॉइंट मैनेजमेंट	आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए आपका PII डेटा Scapia के साथ साझा किया जाएगा।
M2P Solutions Pvt. Ltd.	ACS (एक्सेस कंट्रोल सर्वर) and CMS (कार्ड मैनेजमेंट सर्विसेज)	सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपका PII और ट्रांज़ैक्शन डेटा M2P के साथ साझा किया जाएगा।

CleverTap Private Limited	कम्युनिकेशन वेंडर	आपको संदेश भेजने के लिए आपका PII और ट्रांज़ैक्शन डेटा Mettle के साथ साझा किया जाएगा।
Sinch cloud communication services India Pvt. Ltd.		आपको संदेश भेजने के लिए आपका PII डेटा Sinch के साथ साझा किया जाएगा।
MCT Cards & Technology Pvt. Ltd.	प्रिंटिंग पार्टनर	आपको फिज़िकल वेलकम किट भेजने के लिए आपका PII डेटा MCT के साथ साझा किया जाएगा।
Delhivery Pvt. Ltd.	लॉजिस्टिक्स	आपका PII डेटा Delhivery (कूरियर पार्टनर) के साथ साझा किया जाएगा जो आपके पते पर फिज़िकल वेलकम किट भेजेगा।
Blue Dart Express Limited		
Department of India Post		
Razorpay Software Pvt. Ltd.	पेमेंट गेटवे	आपका PII और ट्रांज़ैक्शन डेटा Worldline के साथ साझा किया जाएगा ताकि आप अपने कार्ड की बकाया राशि का भुगतान कर सकें।
Pine Labs Pvt. Ltd.	बैंक के EMI मर्चेन्ट	लागू नहीं है
PayU Payments Pvt. Ltd.		
Concentrix Technologies (India) Pvt. Ltd.	ग्राहक सहायता संबंधी गतिविधियां	ग्राहक सहायता/पूछताछ प्रदान करने के लिए आपका PII डेटा Concentrix के साथ साझा किया जाएगा।
Globiva Services Private Limited		
Experian Credit Information Company Of India Pvt. Ltd.	क्रेडिट ब्यूरो	क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी पात्रता की जांच करने के लिए आपका PII डेटा साझा किया जाएगा।
Credit Information Bureau (India) Limited		बैंक की वसूली गतिविधियों में सहायता के लिए आपका PII डेटा एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।
Collection and Recovery Agency		बैंक के साथ जुड़ी एजेंसियों की सूची: https://www.federalbank.co.in/documents/10180/59628/List+of+collection+agents+%26+recovery+agents-Jan+2023.pdf/85b86b66-8a75-421e-91a9-b1954cf0e57f?t=1675755327502

4. क्रेडिट कार्ड को फिर से जारी करना और बदलना

यदि आपका कार्ड खराब/टूट गया है, फट गया है, गुम या चोरी हो गया है, तो आप एप्लीकेशन के नदीम से या ग्राहक सहायता से बात करके कार्ड बदलने की मांग कर सकते हैं। ऐसे सभी नए कार्ड बैंक के विवेकाधिकार से और उस समय लागू शुल्क का भुगतान करने के बाद जारी किए जाएंगे। खराब कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसे मैग्नेटिक स्ट्राइप के बीच से काटकर तुरंत बैंक को वापस करना चाहिए।

पता और टेलीफोन नंबर बदलना

अगर आपका पता या मोबाइल नंबर बदल गए हैं तो आपको तुरंत बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। **Scapia** ऐप या बैंक द्वारा चुने गए विभिन्न साधनों के माध्यम से पता और मोबाइल नंबर बदलने के विकल्प आपको दिए जाएंगे।

बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार समय-समय पर तय आवश्यकताओं के आधार पर आपके अनुरोध की समीक्षा करने और उसे स्वीकार करने का अधिकार रखता है।

उल्लंघन और समाप्ति/वापसी

14. **कार्ड मेंबर के द्वारा:** आप कभी भी अपने सभी कार्ड वापस करके कार्ड की इन सामान्य शर्तों को समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने खाते पर जारी सभी कार्ड को बीच से काटकर तथा कार्ड से जुड़े सभी सुविधाओं और लाभों को समाप्त करने का लिखित अनुरोध देना होगा। कार्ड तभी बंद होगा जब हमें अतिरिक्त कार्ड सहित आपके सभी कार्ड प्राप्त हो जाएंगे और कार्ड खाते से संबंधित सभी बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा। आप बैंक को लिखित रूप में सूचित करके अतिरिक्त कार्ड का उपयोग बंद कर सकते हैं लेकिन अतिरिक्त कार्ड के उपयोग से हुए सभी शुल्कों की जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। कोई वार्षिक शुल्क या अन्य शुल्क आंशिक रूप में वापस नहीं किया जाएगा। आप कार्ड बंद करने का अनुरोध ऐप से या बैंक के संपर्क केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं।
15. **बैंक के द्वारा:** बैंक किसी भी समय अपने विवेकाधिकार से, बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए कार्ड की इन सामान्य शर्तों को तुरंत समाप्त कर सकता है और कार्ड के उपयोग को सीमित कर सकता है। यदि बैंक इन शर्तों को समाप्त करता है, तो कार्ड खाते पर सभी बकाया राशि (जिसमें अभी तक डेबिट न हुए शुल्क या कैश एडवांस शामिल हैं) तुरंत देय और भुगतान योग्य हो जाएगी। बैंक कैंसिल किए गए क्रेडिट कार्ड की जानकारी मर्चेन्ट को भी दे सकता है। यदि क्रेडिट कार्ड कैंसिल किया गया है, तो आपको इसे मैग्नेटिक स्ट्राइप के बीच से काटकर दोनों हिस्से तुरंत बैंक को लौटाने होंगे। कोई वार्षिक शुल्क या अन्य शुल्क आंशिक रूप में वापस नहीं किये जाएंगे।
16. यदि आप अपनी नौकरी/पेशा या पता बदलते हैं या आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे स्थान पर होती है, या अपना सैलरी अकाउंट/मुख्य बैंक अकाउंट बदलते हैं, तो बैंक अपने विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड सुविधा बंद करने का अधिकार रखता है।
17. **उल्लंघन:** यदि कोई कार्ड मेंबर कार्ड की इन सामान्य शर्तों का उल्लंघन करता है; (i) इन शर्तों के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, कार्डधारक उस उल्लंघन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगा; और (ii) कार्ड मेंबर बैंक द्वारा मांग किए जाने पर, बैंक को अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वह राशि उस समय देय हो या नहीं।
18. **समाप्ति / वापसी:** कार्ड मेंबर कार्ड खाता बंद करने का अनुरोध **Scapia** के ऐप के माध्यम से या ग्राहक सहायता को लिखित ईमेल भेजकर कर सकता है।
19. उपर्युक्त सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि कार्ड को खराब न किया जाए। इसके लिए कार्ड के ऊपरी दाएं कोने को काटकर होलोग्राम और मैग्नेटिक स्ट्राइप दोनों को काटा जाना चाहिए और कार्ड बैंक को प्राप्त होना चाहिए। ऐसा किए बिना, न तो कार्ड खाता और न ही कोई कार्ड बंद नहीं किया जा सकता है।
20. यदि कार्ड मेंबर यह दावा करता है कि उसने कार्ड नष्ट कर दिया है, लेकिन कार्ड बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है, तो कार्ड पर हुए सभी शुल्कों के लिए कार्ड मेंबर पूरी तरह जिम्मेदार होगा, चाहे ये शुल्क गलत उपयोग के कारण हुए हों या नहीं, और चाहे बैंक को कार्ड नष्ट होने की सूचना दी गई हो या नहीं।
21. बैंक किसी भी समय, अपने विवेकाधिकार और परिस्थितियों के अनुसार, नोटिस दिए बिना भी कार्ड खाते और कार्ड को बंद कर सकता है। कार्डधारक स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि यदि उसके बैंक में कार्ड की सामान्य शर्तों के तहत दो या अधिक कार्ड खाते हैं और किसी एक खाते में भुगतान में देरी होती है, तो बैंक को यह अधिकार है कि वह सभी अन्य कार्ड खातों की क्रेडिट लिमिट को ब्लॉक कर दे और उन सभी खातों में दी जाने वाली सुविधाएं/लाभ भी रोक सके, जब तक कि डिफॉल्ट वाला कार्ड खाता मेंबर द्वारा नियमित न कर दिया जाए। कार्ड मेंबर यह भी स्वीकार करता और मानता है कि ऊपर बताई गयी कार्रवाई के लिए बैंक कोई अतिरिक्त सूचना नहीं देगा।

22. कार्ड खाता समाप्त होने पर, तथा बैंक और कार्ड मेंबर के बीच किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद: (क) उस समय तक बकाया सभी शुल्क, चाहे वे स्टेटमेंट में दिखाए गए हों या न हों, और (B) कार्ड मेंबर को समाप्ति के बाद किए गए किसी भी वॉलन्टरी शुल्क की राशि (संबंधित लेन-देन निर्देश की तिथि से लागू) का भुगतान तुरंत करना होगा, जैसे कि वे स्टेटमेंट में दिखाए गए हों। इन शुल्कों पर उस दिन से ब्याज भी लगेगा जब ये शुल्क उत्पन्न हुए, और यह समय-समय पर लागू दरों के अनुसार होगा।

23. बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए, कार्ड पर दी जाने वाली सुविधाओं को अस्थायी या स्थायी रूप से रोकने और/या कार्ड को कैंसिल करने का अधिकार रखता है। यदि कार्ड की सुविधाएं अस्थायी रूप से रोक दी जाती हैं, तो बैंक अपने विवेकानुसार उन्हें फिर से चालू कर सकता है। यदि सुविधाएं स्थायी रूप से रोक दी जाती हैं, तो बैंक कार्ड मेंबर को स्थायी रूप से सदस्यता देने से मना कर सकता है। हालांकि, स्पष्ट रूप से सुविधाओं का रोकना (अस्थायी या स्थायी) कार्ड से जुड़े सभी लाभ, सुविधाएं और सेवाएं स्वतः समाप्त कर देता है। ऐसे अस्थायी या स्थायी विदड्रॉल के मामले में, कार्ड मेंबर उस कार्ड पर विदड्रॉल से पहले हुए सभी खर्चों के साथ ही उस पर लागू सभी अन्य शुल्कों के लिए भी उत्तरदायी रहेगा, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। कार्ड को कभी भी वापस लिया जा सकता है और कार्ड खाता किसी भी समय बंद किया जा सकता है, चाहे कार्ड पर मुद्रित वैधता अवधि समाप्त हुई हो या नहीं। कार्ड मेंबर सहमत है कि वह बैंक या उसके प्रतिनिधि के अनुरोध पर कार्ड को सौंप देगा। कार्ड के अधिकार खत्म होने का नोटिस मिलने के बाद भी कार्ड का इस्तेमाल करना धोखाधड़ी माना जाएगा और इसके लिए आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

24. नीचे दी गयी किसी एक या अधिक घटनाओं के होने पर डिफॉल्ट माना जाएगा, और बैंक अपने विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड सुविधा को बंद कर सकता है। डिफॉल्ट की घटनाएं निम्नलिखित हैं:

24.1. आप लगातार निर्धारित समय के भीतर बैंक को पैसे नहीं देते हैं।

24.2. आप इन नियमों एवं शर्तों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं।

24.3. अगर आपने कोई भी चेक और/या ECS/स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया है, बैंक किसी भी वजह से उस पर नकद नहीं देता/ प्रोसेस नहीं करता।

24.4. यदि आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत, झूठी या अधूरी साबित होती है, जैसे कि बैंक को भेजी गई आपकी आय और/या पहचान से संबंधित कागज/दस्तावेज का गलत, अधूरा/धोखाधड़ी से संबंधित हो।

25. आप विशेष रूप से स्वीकार करते हैं कि आपका कार्ड खाता कैंसिल/बंद होने पर क्रेडिट कार्ड के सभी अधिकार (जैसे रिवाइड, लाभ और सेवाएं) वापस ले लिए जाते हैं, और इन्हें अपने आप फिर से चालू नहीं किया जाएगा। इन्हें फिर से सक्रिय करना पूरी तरह बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा।

26. कार्ड कैंसिल होने पर, आप:

26.1. कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे। आपको कार्ड को मैग्नेटिक स्ट्रिप के बीच से दो टुकड़ों में काटकर बैंक को वापस करना होगा।

26.2. जब तक कटा हुआ कार्ड बैंक को वापस नहीं मिलता, तब तक उसके किसी भी उपयोग के लिए आप जिम्मेदार होंगे और सभी शुल्कों का भुगतान आपको करना होगा।

26.3. आपको कार्ड इन सामान्य शर्तों के अनुसार बैंक को भुगतान करते रहना होगा।

किसी बिलिंग साइकिल के लिए अगर कोई ब्याज/फाइनेंस शुल्क लागू हो, तो उसे अगले बिलिंग साइकिल पर लगाया/देय किया जाएगा और कार्ड मेंबर को कार्ड मेंबरशिप की समाप्ति/निरस्त होने के बावजूद उसका भुगतान करना होगा।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों के माध्यम से किए गए विफल लेन-देन के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) को समान बनाने और ग्राहक मुआवजा से संबंधित प्रावधान

सितंबर 2020 में, RBI ने सभी अधिकृत पेमेंट सिस्टम के लिए ग्राहक की शिकायतों को तय समय में निपटाने (TAT) और मुआवजे से जुड़े नियम लागू किए थे। बैंक ने ऊपर बताए गए नियमों को लागू कर दिया है। अगर कोई लेन-देन असफल होता है और मुआवजा बनता है, तो वह पैसा अपने आप ग्राहक के खाते में डाल दिया जाएगा।

भुगतान का वैध सिस्टम इस्तेमाल करके विफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवज़े का विवरण नीचे दिया गया है

असफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) और ग्राहक मुआवज़े में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वैध भुगतान के सिस्टम का उपयोग करना			
क्रम सं.	घटना का विवरण	ऑटो-रिवर्सल और मुआवज़े के लिए फ्रेमवर्क	
		ऑटो-रिवर्सल की टाइमलाइन	देय मुआवज़ा
I	II	III	IV
1	माइक्रो-ATMs सहित ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (ATMs)		
क	ग्राहक के खाते से डेबिट हो गया लेकिन कैश नहीं निकला।	लेन-देन की तिथि से अधिकतम पांच दिनों के अंदर असफल लेन-देन की राशि स्वतः वापस कर दी जाएगी।	लेन-देन की तिथि से पांच दिनों से अधिक की देरी पर ₹100/- प्रति दिन खाता धारक के खाते में जमा किए जाएंगे।
2	कार्ड से लेनदेन		
क	एक कार्ड से दूसरे कार्ड में पैसे भेजना कार्ड खाते से डेबिट किया गया लेकिन लाभार्थी के कार्ड खाते में जमा नहीं किया गया।	अगर लाभार्थी के खाते में राशि जमा नहीं होती है, तो लेन-देन की तिथि से 1 दिन के भीतर पैसे वापस आ जाने चाहिए।	लेन-देन की तिथि से 1 दिन से अधिक की देरी पर ₹100/- प्रतिदिन
ख	पॉइंट ऑफ सेल (PoS) (कार्ड प्रेज़ेंट) जिसमें PoS पर कैश भी शामिल है खाते से पैसे कट गए लेकिन मर्चेन्ट लोकेशन पर पुष्टि नहीं मिली, अर्थात चार्ज-स्लिप जनरेट नहीं हुई।	लेन-देन की तिथि से 5 दिनों के अंदर ऑटो-रिवर्सल।	लेन-देन की तिथि से 5 दिन से अधिक की देरी पर ₹100/- प्रतिदिन

ग	कार्ड मौजूद नहीं (CNP) (ई-कॉमर्स)		
	खाते से पैसे कट गए लेकिन मर्चेन्ट के सिस्टम पर पुष्टि नहीं मिली।		
3	कार्ड बंद करने का अनुरोध		
	कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध	अनुरोध पर लेन-देन की तिथि से 7 कार्य-दिवस के भीतर कार्रवाई की जाएगी	लेन-देन की तिथि से 7 दिन से अधिक देरी पर रु500/- प्रति कार्य-दिवस

जिम्मेदारी से छूट

उपरोक्त बातों को प्रभावित किए बिना, बैंक और **Scapia** किसी भी ऐसे नुकसान या हानि के लिए आपके प्रति किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निम्न कारणों से उत्पन्न हो:

11. किसी भी वस्तु या सेवा में गलती या दोष;
12. किसी भी व्यक्ति के द्वारा कार्ड को स्वीकार नहीं करना;
13. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल की खराबी;
14. ऐसे लेन-देन निर्देश जो आपने स्वयं नहीं दिए हों;
15. कार्ड की वापसी का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान या किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके संबंध में किया गया कोई भी कार्य;
16. आपके द्वारा किसी को कार्ड देना;
17. कार्ड की समाप्ति तिथि से पहले बैंक की ओर से किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा कार्ड की वापसी की मांग और उसे प्राप्त करने का बैंक का अधिकार;
18. किसी भी कार्ड या कार्ड खाते को समाप्त करने के अपने अधिकार का बैंक द्वारा प्रयोग; या
19. कार्ड की जब्ती और/या इसकी वापसी के लिए किसी अनुरोध या किसी सेवा/मेल ऑर्डर प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को स्वीकार न करने या मान्यता न देने के कारण आपके क्रेडिट, चरित्र और प्रतिष्ठा को होने वाली कोई भी हानि।
20. बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी में हुई कोई भी गलत घोषणा, गलत बयान, त्रुटि या चूका। यदि बैंक या बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बकाया राशि के निपटान के लिए आपसे कोई मांग या दावा किया जाता है, तो आप सहमत और स्वीकार करते हैं कि ऐसी मांग या दावा किसी भी प्रकार से मानहानि का कार्य या आपके चरित्र के लिए हानिकारक या उस पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कार्य नहीं माना जाएगा।

डिफॉल्ट

6. आप स्वीकार करते हैं कि यदि कार्ड की इन सामान्य शर्तों के तहत आपकी किसी भी दायित्व की पूर्ति में कोई डिफॉल्ट होता है, तो बैंक और **Scapia** को उक्त शर्तों के तहत किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।
7. आप यह स्वीकार करते हैं कि यदि बैंक द्वारा आपको प्रदान की गई किसी अन्य क्रेडिट सुविधा में डिफॉल्ट होता है, तो बैंक और/या **Scapia** को कार्ड सुविधा समाप्त करने और का अधिकार होगा, और यदि कार्ड सुविधा में डिफॉल्ट होता है तो बैंक को अन्य क्रेडिट सुविधाओं को समाप्त करने का अधिकार होगा।

8. आप स्वीकार करते हैं कि कार्ड की इन सामान्य शर्तों के तहत यदि बिलों का भुगतान **30** दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो बैंक को लेन-देन को ब्लॉक करने का अधिकार होगा।
9. निम्न-स्तरीय/संदिग्ध/हानि **NPA** में वर्गीकरण, बैंक के साथ कुल एक्सपोजर और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु आधारित नियमों के आधार पर सुरक्षा का संयुक्त आवंटन करके किया जाएगा।
10. यदि किसी देय राशि का भुगतान **90 (नब्बे)** दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो उसे गैर-निष्पादित संपत्ति (**NPA**) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि **RBI** के मास्टर सर्कुलर 'आय की मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों से जुड़े नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

सूचनाएं

कार्ड की इन सामान्य शर्तों के अंतर्गत या इनके संबंध में कार्ड सदस्य से सभी बकाया राशि सहित सभी सूचनाएं या अन्य संचार, लिखित रूप में दिये जाएंगे और उन्हें निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा: फेडरल बैंक लिमिटेड पैरकल टावर्स, परूर जंक्शन, थोत्तकडुकारा, अलुवा, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, केरल, **683 102**, भारत और, यदि निर्दिष्ट न किया गया हो, तो ये सूचनाएं पत्र के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। ऐसी कोई भी सूचना या अन्य संचार प्रभावी माना जाएगा: (i) यदि पत्र द्वारा भेजा गया हो, जब व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो या डाक द्वारा भेजा गया हो और पत्र की वापसी प्रेषक के नियंत्रण से बाहर हो; और (ii) यदि फैक्स द्वारा भेजा गया हो, तो जब भेज दिया जाए (सही फैक्स नंबर पर पुष्टिकरण प्राप्त होने के बाद)। हालांकि, बैंक को भेजी गई कोई भी सूचना या संचार तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह वास्तव में बैंक द्वारा प्राप्त और स्वीकार न की गई हो। सूचनाएं या संचार निम्नलिखित माध्यमों से किए जा सकते हैं: (i) कार्ड मेंबर के पते या फैक्स नंबर पर, जैसा कि बैंक के रिकॉर्ड में

दर्ज है और जिस पर सूचनाएं /संचार भेजे जाने हैं (जैसा कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किया गया हो), और (ii) बैंक का क्षेत्रीय / प्रादेशिक / शाखा / कार्यालय पता या फैक्स नंबर (जैसा कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट है), या कोई अन्य पता या फैक्स नंबर जिसे कार्ड मेंबर और बैंक एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करके निर्धारित कर सकते हैं। यदि कार्ड मेंबर बैंक को अपने संपर्क पते या अन्य विवरणों में किसी भी परिवर्तन की लिखित सूचना देने में असफल रहता है, तो आवेदन पत्र में निर्दिष्ट या कार्ड मेंबर द्वारा अंतिम बार दिए गए पते पर भेजा गया कोई भी नोटिस/पत्राचार कार्ड मेंबर को दी गयी उचित और पर्याप्त सेवा मानी जाएगी, भले ही वह नोटिस बैंक को 'अप्राप्त' लौटाया जाए। कार्ड मेंबर के घर या कार्यस्थल में उपलब्ध किसी भी समाचार पत्र में दी गई सूचना, प्रकाशित होने की तिथि से कार्ड मेंबर के लिए पर्याप्त सूचना मानी जाएगी; हालांकि, किसी समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना बैंक के विरुद्ध तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि बैंक द्वारा उसे स्वीकार या प्रमाणित नहीं किया जाए।

Mastercard Worldwide/ Visa International /Rupay द्वारा दी गयी सेवाएं

4. आपको **VISA International / MasterCard Worldwide / Rupay** द्वारा कुछ आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं **VISA/MasterCard/Rupay** द्वारा थर्ड पार्टी के एजेंट्स के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। **VISA International, MasterCard Worldwide** या **Rupay** द्वारा या उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली आपातकालीन सेवाओं का उपयोग करने में होने वाले खर्च के लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।
5. **VISA International / MasterCard Worldwide/Rupay** द्वारा या उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर दी जाती है।
6. भारत में या विश्व के किसी भी हिस्से में बैंक, **VISA International / MasterCard Worldwide / Rupay** द्वारा या उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की व्यवस्था या उनके उपयोग के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता।

प्रकटीकरण

फेडरल बैंक, **RBI** द्वारा अधिकृत क्रेडिट ब्यूरो के साथ समझौता कर सकता है और आपके वर्तमान बकाया राशि, भुगतान की हिस्ट्री, डेमोग्राफिक विवरण आदि सहित आपकी क्रेडिट संबंधी जानकारी साझा कर सकता है। ऐसी जानकारी क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है। क्रेडिट ब्यूरो इस संबंध में कोई राय, संकेत या टिप्पणी प्रदान नहीं करते कि क्रेडिट सुविधा दी जानी चाहिए या नहीं। यह आपके हित में है कि आप आवश्यक देय का समय पर भुगतान करके एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाए रखें। क्रेडिट ब्यूरो की व्यवस्था होने से, जिम्मेदार ग्राहक ऋणदाताओं से बेहतर शर्तों पर शीघ्र और आकर्षक सेवाएं प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं। ग्राहकों द्वारा किया गया डिफॉल्ट क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध रहेगा, जिससे भविष्य में क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए आपकी क्रेडिट योग्यता प्रभावित हो सकती है। फेडरल बैंक ग्राहक की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को हर महीने या बैंक एवं क्रेडिट ब्यूरो के बीच सहमति से निर्धारित अन्य समयावधि के अनुसार उपलब्ध कराएगा। यदि किसी बिलिंग विवाद की सूचना फेडरल बैंक को दी जाती है, तो बैंक विवाद के समाधान तक क्रेडिट ब्यूरो को संबंधित जानकारी की रिपोर्टिंग निलंबित रहेगा। कार्ड मेंबर यह स्वीकार करता है कि फेडरल बैंक को यह अधिकार है कि वह कार्ड मेंबर/एड-ऑन कार्ड मेंबर(मेंबर्स) से संबंधित जानकारी, जिसमें कार्डधारक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में किए गए किसी भी डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी भी शामिल है, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी वर्तमान या भावी क्रेडिट ब्यूरो के साथ, बैंक द्वारा आवश्यक एवं उपयुक्त समझे जाने पर, साझा कर सकता है। इस तरह, कार्डधारक ऐसी जानकारी को उक्त क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता है तथा यह पुष्टि करता है कि एड-ऑन कार्ड सदस्य(सदस्यों) से भी इस संबंध में आवश्यक सहमति प्राप्त कर ली गई है। ऐसी संस्थाएं बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋणदाताओं को संसाधित जानकारी या डेटा अथवा उनसे संबंधित प्रोडक्ट भी उपलब्ध करा सकती हैं। क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसियां, क्रेडिट सूचना कंपनियां या कोई अन्य संस्था शामिल है, जिसे उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट जानकारी एकत्रित करने, संकलित करने और प्रसारित करने के उद्देश्य से **RBI** द्वारा स्थापित और अधिकृत किया गया हो।

11. आप बैंक को स्पष्ट रूप से अधिकृत करते हैं कि वह क्रेडिट सत्यापन या रेफरेंस की जांच, कार्ड ऑन-बोर्डिंग, कार्ड जारी करने, अपने हितों की सुरक्षा आदि के उद्देश्यों से, आपसे/कार्ड की इन सामान्य शर्तों से और/या अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य थर्ड पार्टी के साथ किए गए किसी अन्य समझौते से संबंधित सभी/किसी भी जानकारी या दस्तावेज का प्रकटीकरण कर सके।
12. आप बैंक या उसके प्रतिनिधियों को यह अधिकृत करते हैं कि वे आपके नियोक्ता, बैंक या किसी अन्य स्रोत से संपर्क कर आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने और/या सत्यापित करने के लिए अधिकृत होंगे।
13. आप बैंक को यह भी अधिकृत करते हैं कि वह आवश्यकता पड़ने पर ऐसी जानकारी को भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**), आयकर प्राधिकरणों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों या किसी अन्य सरकारी अथवा नियामक प्राधिकरण/संस्था/विभाग को, जब भी उनसे ऐसी मांग की जाए, प्रकट कर सके। आप बैंक को यह भी अधिकृत करते हैं कि कार्ड इन सामान्य शर्तों के नियमों एवं शर्तों के पालन या देय भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, बैंक आपके नाम का सत्यापन, साझा करने तथा उपर्युक्त प्राधिकरणों—जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, क्रेडिट ब्यूरो/एजेंसियां, डेटा बैंक एवं कलेक्शन एजेंसियों सहित अन्य थर्ड पार्टी के समक्ष प्रकटीकरण कर सके।
14. आप द्वारा बैंक को यह अधिकृत करते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि वह आपकी नवीनतम व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी ('**PII**'), जिसमें पैन कार्ड नंबर सहित परंतु केवल उसी तक सीमित नहीं, को प्राप्त करने हेतु विश्वसनीय/अधिकृत सूचना ब्यूरो जैसे **CERSAI / CIBIL** या अन्य ऐसी कंपनियों से निरंतर आधार पर जांच कर सके तथा ऐसे **PII** डेटा को अपडेट रखने के उद्देश्य से बिना किसी अतिरिक्त सहमति के बैंक के अभिलेखों में अपडेट कर सके, जिससे बैंक आपको उपयुक्त सेवाएं और सुविधाएं प्रदान कर सके।
15. आप बैंक को यह भी अधिकृत करते हैं कि वह क्रेडिट कार्ड खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई जानकारी, ग्राहक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की गई कोई अन्य जानकारी, लेन-देन (ट्रांजैक्शन) का विवरण, बैंक के पास सुरक्षित रिकॉर्ड और बैंक द्वारा तैयार की गई या उपलब्ध ग्राहक से जुड़ी अन्य जानकारियों (कस्टमर इनसाइट्स) को क्रॉस-सेलिंग (अन्य उत्पाद बेचने) के उद्देश्य से, और किसी अन्य मार्केटिंग एजेंट/एजेंटों और/या ठेकेदारों (कॉन्ट्रैक्टर्स) के साथ साझा (disclose) करना, जिनके साथ बैंक ने सेवाओं/उत्पादों को प्रदान करने के संबंध में कोई व्यवस्था की है या की हो, जिसमें बिना किसी सीमा के, विभिन्न वित्तीय उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग भी शामिल है।
16. आप बैंक को यह भी अधिकृत करते हैं कि वह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों या तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं (थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स) के साथ ग्राहक की किसी भी जानकारी को साझा करना, और ग्राहक की पात्रता (एलिजिबिलिटी) का मूल्यांकन करने के लिए उसका क्रेडिट स्कोर/रेटिंग

प्राप्त करना (fetch), जिसके आधार पर बैंक कोई पूर्व-स्वीकृत (प्री-अप्रूव्ड) ऋण सुविधा प्रदान कर सके, या समय-समय पर बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सके।

17. आप द्वारा बैंक को यह अधिकृत करते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि बैंक द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले विभिन्न वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के लिए ग्राहक की पात्रता का आकलन करने के उद्देश्य से, क्रेडिट सूचना कंपनियों (क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों) से निरंतर आधार पर अपना क्रेडिट स्कोर/रिपोर्ट और ऐसी अन्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
18. आप आगे यह स्वीकार करते हैं कि यदि निर्देशित/ आवश्यक हो, तो बैंक को ऐसी सभी जानकारी/दस्तावेज़ आदि किसी भी न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष प्रकट करने का अधिकार होगा।
19. प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर (आपकी या आपके परिवार के सदस्यों की क्रेडिट योग्यता से संबंधित), बैंक कार्ड को कैसिल कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्ड खाते में संपूर्ण बकाया राशि तथा कार्ड के उपयोग से हुए वे सभी अतिरिक्त शुल्क, जो अभी तक कार्ड खाते में बिल नहीं किए गए हैं, तुरंत देय और भुगतान योग्य हो जाएंगे। आपके संबंध में ऐसी जानकारी जिस बैंक, संस्था या निकाय से प्राप्त हुई है, बैंक उसका नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।
20. आप उपर्युक्त जानकारी के संबंध में गोपनीयता, निजता और गोपनीय अधिकार के विशेषाधिकार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं।

असाइनमेंट/ सिक्योरिटाइजेशन

आप स्पष्ट रूप से मानते और स्वीकार करते हैं कि बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह आपके बकाया एवं देय राशियों को, पूरा या आंशिक रूप से, तथा बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों पर (जिसमें यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि बैंक किसी भी क्रेता, असाइनी या ट्रांसफर प्राप्त करने वाले पक्ष की ओर से आपके खिलाफ कार्यवाही कर सके) किसी भी थर्ड पार्टी को बेच, असाइन या ट्रांसफर (जिसमें लिखित या अन्य माध्यम से वित्तीय दस्तावेज़ जारी करना भी शामिल है) कर सकता है। बैंक आपको बिना रेफरेंस या लिखित सूचना दिए भी इसे ट्रांसफर या असाइन कर सकता है, और ऐसा असाइनमेंट या ट्रांसफर आपको उस थर्ड पार्टी को एकमात्र क्रेडिटर के रूप में या बैंक के साथ ज्वाइंट क्रेडिटर के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन बैंक को यह अधिकार रहेगा कि वह उस थर्ड पार्टी की ओर से इन शर्तों के अंतर्गत सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखे तथा आपके बकाया और देय राशियों को उस थर्ड पार्टी को अदा करें या उन्हें समायोजित करें, जैसा कि बैंक उचित समझे। यदि बैंक को अपने अधिकार लागू करने या बकाया राशि वसूलने में कोई खर्चा आता है, तो वह खर्च आपके खाते से लिया जाएगा।

अन्य शर्तें

8. यदि बैंक कार्ड से संबंधित किसी भी मामले में आपके द्वारा दिए गए मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश अथवा पूछताछ के प्रत्युत्तर में सद्भावना में कार्य करता है, तो आप बैंक की ऐसी सद्भावनापूर्ण कार्यवाही के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी भी हानि, क्षति, दायित्व, खर्च आदि के संबंध में कोई दावा या आरोप करने के अधिकारी नहीं होंगे, तथा आप इस संबंध में बैंक को उत्तरदायित्व से मुक्त रखने के लिए सहमत होंगे।
9. कार्ड की इन सामान्य शर्तों के तहत आपकी जिम्मेदारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कार्ड खाते में बकाया राशि का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हो जाता है।
10. यदि कार्ड मेंबर दिवालिया हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, या मुख्यकार्डधारक की मृत्यु हो जाए, तो कार्ड खाते पर कुल बकाया राशि के साथ ऐसे शुल्क भी तुरंत पूर्ण रूप से बैंक को देय और भुगतान योग्य हो जाएंगे जो अभी बिल में नहीं आए हैं। यदि मुख्य कार्ड मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संपत्ति से कार्ड का बकाया चुकाया जाएगा, और ऐसे बकाया की वसूली में हुए सभी खर्च, जिनमें कानूनी शुल्क और अन्य व्यय शामिल हैं, भी उसी से दिए जाएंगे। जब तक आप भुगतान नहीं कर देते, तब तक बैंक अपनी वर्तमान दर से फाइनंस शुल्क लगाता रहेगा।

11. किसी भी सरकारी/नियामक प्राधिकरण के निर्देश पर कार्ड खाता निलंबित किया जा सकता है। सरकारी/नियामक प्राधिकरणों के निर्देशानुसार, कार्ड का पूरा बकाया तुरंत देय माना जाएगा और कानून के अनुसार बैंक उसकी वसूली कर सकता है तथा आपको उसका भुगतान तुरंत ही करना होगा।
12. बैंक, समय-समय पर, **Scapia** से परामर्श करके, इन शर्तों एवं नियमों में पूर्णतः या आंशिक रूप से नए नियम जोड़ने और/या उनमें बदलाव करने का अधिकार रखेगा, और ऐसे संशोधनों की सूचना आपको लिखित रूप में **SMS** या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। आप ऐसे बदलाव मानने के लिए बाध्य होंगे, जब तक कि ये बदलाव लागू होने से पहले कार्ड खाते की समस्त बकाया राशि का पूरा भुगतान न कर दिया जाए तथा कार्ड को कैसिल करने के लिए बैंक को वापस न कर दिया जाए या उसे दो भागों में काटकर नष्ट न कर दिया जाए।
13. बैंक, **Scapia** से परामर्श कर, इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत आपको उपलब्ध किसी भी नई सुविधा या फीचर को जोड़ने या वापस लेने का अधिकार रखेगा।
14. प्रकाशन के समय प्रकाशित समस्त जानकारी सही एवं पूर्ण मानी जाएगी। यदि प्रिंट होने के बाद इसमें कोई बदलाव होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक या **Scapia** की नहीं होगी।

सेट-ऑफ का अधिकार / बैंक का संपत्ति पर अधिकार

यदि आप किसी भी कारण से कार्ड की सामान्य शर्तों के अनुसार बकाया राशि का निपटान करने में देर करते हैं या असमर्थ रहते हैं, तो बैंक अपने सामान्य ऋणाधिकार और/या सेट-ऑफ के अधिकार का इस्तेमाल करके ऐसी बकाया राशि को किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति (चल और अचल संपत्ति दोनों) से वसूल कर सकता है जो समय-समय पर बैंक के पास हों। इसमें टर्म डिपॉजिट में रखी राशि और/या बैंक के अन्य खातों में मौजूद राशि, संपत्ति, परिसंपत्तियां (चल और अचल दोनों), प्रतिभूतियां, स्टॉक्स, शेयर, धनराशि आदि शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, चाहे वे मुख्य कार्ड सदस्य या ऐड-ऑन कार्ड सदस्य (सदस्यों) की हों और बैंक के सुरक्षित संरक्षण में रखी गई हों या अन्यथा, और चाहे वे वर्तमान में बैंक के पास हों या भविष्य में बैंक के पास आए।

अधिकार का त्याग/ स्वीकृति

कार्ड की इन सामान्य शर्तों या किसी अन्य समझौते/दस्तावेज में कोई गलती होने पर यदि बैंक अपने किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में विलंब करता है या उसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो इससे बैंक के अधिकार, विशेषाधिकार, शक्ति या उपाय प्रभावित नहीं होंगे और न ही इसे उस अधिकार के त्याग, क्षमा या मौन स्वीकृति के रूप में समझा जाएगा। साथ ही, बैंक द्वारा किसी गलती पर कोई कार्रवाई या निष्क्रियता या मौन रहने पर बैंक या **Scapia** के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और बैंक या **Scapia** को आगामी या समान गलती पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार रहेगा।

मध्यस्थता का प्रावधान

4. बैंक और कार्डधारक के बीच होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या प्रश्न या इसके किसी भी पहलू से संबंधित या इससे जुड़े किसी भी आशय, अर्थ या प्रभाव या पक्षों के अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियों से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। यह मध्यस्थता, माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 अधिनियम के नियमों के अनुसार होगी या किसी एकल मध्यस्थ, मध्यस्थता संस्था या ऑनलाइन विवाद समाधान (**ODR**) सुविधा प्रदान करने वाले किसी संस्था/प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा सकती है। मध्यस्थता की कार्यवाही अधिनियम की धारा 29B में उल्लिखित फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। एकल मध्यस्थ/ मध्यस्थता अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय कार्डधारक/कार्डधारकों के लिए कानूनी रूप से अंतिम और मान्य होगा।
5. विवाद होने पर, प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस भेजेगा जिसमें मध्यस्थता प्रावधान का हवाला दिया जाएगा और उस व्यक्ति का नाम एवं विवरण दिया जाएगा जिसे वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, या विवाद को किसी मध्यस्थता संस्था या किसी **ODR** सुविधा प्रदान करने वाले संस्था/प्लेटफॉर्म को सौंपने का सुझाव दिया जाएगा, जिसका नाम नोटिस में उल्लिखित होगा। यदि दूसरा पक्ष प्रभावित पक्ष द्वारा प्रस्तावित मध्यस्थ के चयन से सहमत नहीं है, तो दूसरे पक्ष को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसे लिखित रूप में प्रभावित पक्ष को सूचित करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते, तो यह मान लिया जाएगा कि दूसरा पक्ष

प्रभावित पक्ष के प्रस्ताव से सहमत है और प्रभावित पक्ष द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, या विवाद को उस मध्यस्थता संस्था या **ODR** सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को भेजा जाएगा, जिसका नाम नोटिस में दिया गया है।

6. मध्यस्थता में 'विवाद' शब्द का मतलब है, जब उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) अपने लोन/क्रेडिट सुविधा का समय पर भुगतान नहीं करता या इस समझौते या स्वीकृति पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को प्रभावित पक्ष माना जाएगा।
5. यदि दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किये गए मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है या किसी भी कारण से वह काम नहीं कर सकता है, तो दोनों पक्ष उसी प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेंगे। नए नियुक्त मध्यस्थ को यह अधिकार होगा कि वह पहले वाले मध्यस्थ द्वारा छोड़े गए चरण से मध्यस्थता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।
6. मध्यस्थता की कार्यवाही का स्थान नीचे बताए गए प्रावधानों में बताए गए स्थानों पर होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। इस मध्यस्थता के संबंध में किसी भी अदालत में कार्रवाई शुरू करनी हो, तो वह केवल उस स्थान पर स्थित सक्षम न्यायालयों में ही की जाएगी, जो अनुसूची में दिए गए हैं।
8. एकल मध्यस्थ/ मध्यस्थ अधिकरण के पास यह अधिकार भी होगा कि वह उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) द्वारा या उनके पक्ष में प्रस्तुत किसी भी सुरक्षा पर निर्णय दे। एकल मध्यस्थ / मध्यस्थ अधिकरण को यह अधिकार भी होगा कि वह विवाद के निपटारे तक, उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) और बैंक के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार कोई भी अंतरिम आदेश पारित करें।
9. ऊपर कही गई किसी भी बात के बावजूद, इस मध्यस्थता धारा में शामिल कोई भी प्रावधान उन विवादों या दावों पर लागू नहीं होगा जो ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरण के मौद्रिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

आप इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में **Scapia** किसी भी ऐसे विवाद और/या कार्यवाही का पक्षकार नहीं होगा।

मध्यस्थता का स्थान नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	वह स्थान जहां ग्राहक रहता है / ग्राहक का संचार पता	मध्यस्थता की जगह
1	केरल में रहने वाला ग्राहक	एर्नाकुलम
2	तमिलनाडु में रहने वाला ग्राहक	चेन्नई
3	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहने वाला ग्राहक	बैंगलोर
5	महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में रहने वाले ग्राहक	मुंबई
6	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाले ग्राहक	कोलकाता
7	पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में रहने वाले लोग	नई दिल्ली

अधिकार क्षेत्र और लागू कानून

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उनके बीच किसी भी विवाद के मामले की सुनवाई केवल एर्नाकुलम के न्यायालय में ही होगी। हालांकि, मध्यस्थता का विकल्प चुनने से पहले, दोनों पक्ष कानून के तहत अपने पास मौजूद किसी भी अन्य उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह समझौता भारत के कानूनों के अधीन है।

संदर्भ

यदि किसी भी एक जेंडर की बात की जाएगी तो उसमें सभी जेंडर शामिल माने जाएंगे, और एकवचन या बहुवचन का ज़िक्र संदर्भ के अनुसार बदल सकता है।

स्वीकृति

5. आपने कार्ड की सभी सामान्य शर्तों एवं धाराओं और **MITC** को पढ़ और समझ लिया है, और आप यहां दी गयी सभी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
6. आप यह स्वीकार करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित शर्तें एवं अन्य दस्तावेज़ आपको आपकी समझ की भाषा में समझाए गए हैं और आपने विभिन्न धाराओं का पूरा मतलब समझ लिया है।
7. कार्ड का उपयोग करने का मतलब है कि आप कार्ड के सामान्य नियमों और **MITC** में दी गई शर्तों को मानते हैं।
8. आप किसी भी संशोधन सहित कार्ड के सामान्य नियम, **MITC** और क्रेडिट कार्ड से संबंधित अन्य दस्तावेज़ों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यदि आप फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड का लगातार उपयोग करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने नए संशोधित नियम स्वीकार कर लिए हैं।

Scapia लॉयल्टी प्रोग्राम

अपने **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके, आप **Scapia** लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। **Scapia** लॉयल्टी प्रोग्राम को नीचे दी गई तीन श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाएगा (**Scapia** द्वारा प्रबंधित):

3. **Scapia** कॉइन्स
4. **Scapia** के लाभ

2. **Scapia** कॉइन्स

Scapia कॉइन्स को जमा किया जा सकता है और बाद में **Scapia** प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं (जैसे, फ्लाइट्स, होटल, बसें आदि या समय-समय पर **Scapia** द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, **Scapia** कॉइन्स का उपयोग समय-समय पर **Scapia** ऐप में दिखाए जाने वाले अन्य आकर्षक ऑफर्स के लिए भी किया जा सकता है।

1.4 **Scapia** कॉइन्स प्राप्त करें

3. कार्ड से किये गए लेन-देन पर मिले रिवॉईस में स्टेटमेंट की तारीख पर **1** रिवॉई के बदले **1 Scapia** कॉइन मिलेगा।
4. **बोनस कॉइन्स:** आप गैर-वित्तीय लेनदेन पर भी **Scapia** कॉइन्स कमा सकते हैं, जैसे कि किसी दोस्त को रेफर करना, कार्ड को एक्टिवेट करना जैसे कुछ कार्यों को पूरा करना आदि। बोनस कॉइन्स पाने के लिए नियम एवं शर्तें समय-समय पर **Scapia** द्वारा निर्धारित की जाएंगी और इन्हें **Scapia** ऐप में दिखाया जाएगा।

1.5 Scapia कॉइन्स का इस्तेमाल करें

- 3 आप Scapia कॉइन्स का इस्तेमाल Scapia ऐप पर फ्लाइट, होटल, बस, ट्रेन और बीजा बुकिंग या ऐप पर उपलब्ध किसी अन्य सेवा के लिए कर सकते हैं।
- 4 जब आप Scapia कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके Scapia खाते में जमा कुल कॉइन्स से अपने आप घटा दिए जाएंगे।

1.6 Scapia कॉइन्स का मूल्य:

Scapia कॉइन्स का मूल्य समय-समय पर Scapia के द्वारा बदला जा सकता है। कॉइन्स के मूल्य में किसी भी बदलाव की सूचना एक महीने पहले दी जाएगी। फिलहाल, Scapia कॉइन्स का मूल्य नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित किया गया है।

विवरण	Scapia कॉइन्स का मूल्य
Scapia ऐप पर फ्लाइट और होटल/स्टे, बस की बुकिंग और किसी भी अन्य सेवाओं के लिए कॉइन्स का इस्तेमाल करने के लिए	5 Scapia कॉइन = ₹1

Scapia कॉइन्स से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें:

क. रिवॉइर्स को Scapia कॉइन्स में बदलने पर, आपके कॉइन्स का बैलेंस Scapia ऐप पर दिखाई देगा। आप अपने जमा किए गए Scapia कॉइन्स को भी Scapia ऐप पर देख सकते हैं।

ख. Scapia कॉइन्स की वैधता 36 महीने है, नीचे बताई गयी परिस्थितियों को छोड़कर:

- यदि 365 दिनों से अधिक समय तक Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है, तो जमा किए गए Scapia कॉइन्स रद्द हो जाएंगे।
- यदि कोई कार्ड मेंबर Scapia कॉइन्स का उपयोग करके बुक की गई फ्लाइट/होटल बुकिंग को कैंसिल करता है, तो Scapia कॉइन्स को समय-समय पर Scapia द्वारा बहाल किया जा सकता है।

ग. यदि कार्ड मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय तक जमा किए गए लेकिन उपयोग न किए गए Scapia कॉइन्स रद्द कर दिए जाएंगे।

घ. Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड की सदस्यता के बंद/समाप्त होने पर, कार्ड मेंबर के खाते में बचे किसी भी Scapia कॉइन्स को रद्द कर दिया जाएगा।

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्डधारक उन विशेष लाभों का उपयोग कर सकेंगे जो Scapia द्वारा फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में प्रदान किए जाते हैं।

2. Scapia के लाभ:

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्डधारक उन विशेष लाभों का उपयोग कर सकेंगे जो Scapia द्वारा फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में प्रदान किए जाते हैं।

2.1. डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज के मुफ्त उपयोग की सुविधा:

क. Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड मेंबर्स को भारत के कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट लाउंज का उपयोग मुफ्त में करने की सुविधा दी जाएगी। लाउंज की पूरी सूची आप [यहां](#) देख सकते हैं।

ख. पात्रता: सभी एक्टिव Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड धारक निर्धारित कोटा के अनुसार मुफ्त लाउंज का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके कार्ड में मुफ्त लाउंज के उपयोग की सुविधा खत्म हो जाती है, तो आपको लाउंज प्रदाता द्वारा तय किए गए शुल्क के अनुसार प्रवेश शुल्क देना होगा। मुफ्त लाउंज उपयोग का कोटा इस तरह तय किया गया है।

श्रेणी	मुफ्त लाउंज उपयोग की संख्या	पात्रता की शर्त
डोमेस्टिक लाउंज का असीमित उपयोग	असीमित	- इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको एक बिलिंग साइकिल में Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड पर ₹20,000 खर्च करने होंगे। मुफ्त में डोमेस्टिक लाउंज का असीमित उपयोग बनाए रखने के लिए आपका कार्ड हर महीने एक्टिव होना चाहिए। - किसी विशेष कार्ड वेरिएंट पर किए गए लेन-देन सिर्फ उसी वेरिएंट की पात्रता के लिए मान्य होंगे और दोनों वेरिएंट के लेन-देन जोड़कर नहीं माने जाएंगे। - ग्राहक द्वारा चयनित एक स्टेटमेंट साइकिल में किए गए लेन-देन - अगर आप इस सुविधा के लिए पात्र हैं, तो बिलिंग तारीख के 3-5 दिन बाद आपके लिए अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस चालू कर दिया जाएगा।

ग. यह इस तरह काम करता है

14. इस प्रोग्राम के तहत, योग्य कार्डधारक सभी शामिल एयरपोर्ट लाउंज में प्रवेश ले सकेंगे, जो नीचे दिए गए किसी एक प्रवेश प्रकार पर निर्भर करेगा:

प्रवेश का तरीका **1:** केवल योग्य कार्डधारक के लिए मुफ्त प्रवेश (अगर उनके पास Scapia ऐप से जारी वैध लाउंज QR कोड हो)। सभी योग्य कार्डधारकों के पास Scapia ऐप और लाउंज पर वैध बोर्डिंग हो। एयरपोर्ट पर ग्राहक के मौजूद होने पर ही QR कोड जेनरेट होगा और ग्राहक को अपना लोकेशन एक्सेस देना होगा।

प्रवेश का तरीका **2:** पात्र कार्डधारक लाउंज में दिखाए गए शुल्क के अनुसार अपने लिए या अपने साथ आने वाले अतिथियों के लिए भुगतान करके प्रवेश ले सकते हैं (भुगतान सीधे भागीदार एयरपोर्ट लाउंज में योग्य कार्डधारक द्वारा किया जाएगा)।

15. लाउंज में प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा और कुछ लाउंज में सीटें सीमित हो सकती हैं।

16. भागीदार एयरपोर्ट लाउंज रुकने की अधिकतम सीमा (सामान्यतः 2 या 3 घंटे) लागू करने का अधिकार रख सकते हैं। यह प्रत्येक लाउंज ऑपरेटर के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, और वह अधिक समय तक वहां रुकने के लिए शुल्क लगा सकता है।

17. लाउंज का **QR** कोड तभी बनाया जाएगा जब ग्राहक एयरपोर्ट पर मौजूद होगा। **QR** कोड बनाने से पहले ग्राहक अपना लोकेशन एक्सेस देने के लिए सहमत होता है। ग्राहक **Scapia** की मोबाइल एप्लिकेशन पर बोर्डिंग पास अपलोड करने के लिए भी सहमति देता है।
18. लाउंज एक्सेस देने से पहले, **QR** पर यात्री का नाम बोर्डिंग पास/टिकट पर दिए गए नाम से मिलाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य कार्डधारक ही लाउंज में प्रवेश ले रहा है।
19. लाउंज स्टाफ के पास अधिकार है कि वह किसी भी ग्राहक का लाउंज विजिट समय से पहले ही समाप्त कर दे या ऐसे किसी ग्राहक को प्रवेश न देने का निर्णय ले, जो नशे में हो, गलत व्यवहार कर रहा हो, या लाउंज की शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो, तथा किसी भी वैधानिक, नियामक या एयरपोर्ट की नीतियों का उल्लंघन कर रहा हो, जिनमें स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियां या अग्नि सुरक्षा नियम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
20. **Scapia** लाउंज **QR** कोड किसी और को नहीं दिया जा सकता, इसे रिफंड नहीं किया जा सकता और न ही इसे पूरा या आंशिक रूप से बदला जा सकता है। यदि वाउचर को किसी अन्य **Scapia** या गैर-**Scapia** सदस्य को दिया या उससे बदला जाता है, तो **Scapia** भविष्य में वाउचर जारी करने का अधिकार रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. किसी भी परिस्थितियों में, **Scapia** को किसी भी ऐसे विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा जो किसी भागीदार एयरपोर्ट लाउंज में या उसके उपयोग से संबंधित हो, जिसमें, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, योग्य कार्डधारक और अन्य मेहमान, एयरपोर्ट यूज़र, या भागीदार एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेटर और/या उनके कर्मचारी/प्रतिनिधि के बीच के विवाद शामिल हो।
22. इस प्रोग्राम के तहत मिलने वाले लाभ स्वतंत्र ऑफर हैं और इन्हें किसी भी तरह से भागीदार एयरपोर्ट लाउंज के किसी अन्य ऑफर के साथ जोड़ा या मिलाया नहीं जा सकता। हम यह स्पष्ट कर दें कि इस प्रोग्राम के लाभ नकद में बदले या रिडीम नहीं किए जा सकते।
23. भागीदार एयरपोर्ट लाउंज का फ्लाइट्स की घोषणा करने या मेहमानों को बोर्डिंग समय याद दिलाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। योग्य कार्डधारक अपने फ्लाइट टिकट पर दिए गए बोर्डिंग समय का पालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इसलिए, हम यह स्पष्ट कर दें कि किसी भी कारण से किसी योग्य कार्डधारक द्वारा फ्लाइट बोर्ड न करने की स्थिति में, **Scapia** किसी भी परिस्थितियों में जिम्मेदार नहीं होगी।
24. योग्य कार्डधारक इस बात को मानते और स्वीकार करते हैं कि नियमों और नीतियों का पालन न करने पर उन्हें प्रवेश से रोका जा सकता है या लाउंज खाली करने के लिए कहा जा सकता है, और हम यह स्पष्ट कर दें कि वे इसके लिए **Scapia** के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेंगे और उसे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।
25. लाउंज में मुफ्त प्रवेश केवल कार्डधारक को ही मिलेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, लाउंज प्रदाता क्रेडिट कार्ड पर दिखाए गए नाम को बोर्डिंग पास के साथ मिलाकर देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड धारकों के साथ आने वाले मेहमानों के लिए लाउंज में प्रवेश लाउंज प्रदाता द्वारा तय सामान्य कीमतों के अनुसार चार्ज किया जाएगा।
26. लाउंज में प्रवेश की नियम एवं शर्तें समय-समय पर **Scapia** ऐप के माध्यम से बताई जाएंगी।

2.2. ज़ीरो फॉरेक्स मार्क-अप:

क. विदेश में खरीदारी करते समय **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड धारकों से विदेशी मुद्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

2.3. **Scapia** ऐप पर ट्रेवल बुकिंग से संबंधित लेन-देन के लिए नो कॉस्ट **EMI** उपलब्ध है

क. **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड धारक **Scapia** ऐप पर की गई ट्रेवल बुकिंग पर नो कॉस्ट **EMI** सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

ख. यह सुविधा केवल **Scapia** ऐप पर किए गए फ्लाइट/होटल बुकिंग से जुड़े लेनदेन के लिए उपलब्ध होगी, जिन्हें बाद में **EMI** में बदला जाएगा।

ग. नो कॉस्ट **EMI** सुविधा केवल उन लेनदेन के लिए उपलब्ध होगी जिनकी अवधि 3 महीने या **Scapia** और बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई अवधि हो।

घ. इस लाभ के अंतर्गत, ग्राहकों से **EMI** पर सामान्य ब्याज दरों के अनुसार ब्याज लिया जाएगा। हालांकि, क्रेडिट कार्ड पर लगाई गयी मासिक ब्याज के बराबर राशि **Scapia** द्वारा कार्डधारक के खाते में क्रेडिट की जाएगी, जिससे यह ग्राहकों के लिए नो कॉस्ट बन जाएगा।

ड. नो कॉस्ट **EMI** लाभ के अंतर्गत ब्याज में छूट केवल बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज पर ही उपलब्ध है। इसे **EMI** सुविधा में बदलने के लिए ग्राहकों से लागू प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा।

अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड

17. एक कार्ड खाते में कई अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, और प्रत्येक कार्ड खाते के लिए अतिरिक्त कार्डों की संख्या बैंक तय करेगा। प्रत्येक योग्य मुख्य क्रेडिट कार्ड के लिए अधिकतम **3** अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं।
18. मुख्य क्रेडिट कार्ड और अतिरिक्त कार्ड के लिए एक ही साझा क्रेडिट लिमिट तय की जाएगी। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड की लेन-देन सीमा मुख्य कार्डधारक के विवेकाधिकार पर तय होगी और यह मुख्य क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा तक हो सकती है।
19. अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड लेन-देन से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे ट्रांज़ैक्शन **OTP**, अतिरिक्त कार्डधारक को भेजी जाएगी।
20. मुख्य कार्डधारक के अनुरोध और अनुमति मिलने पर, बैंक अपने विवेकाधिकार से अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड आवेदकों को अतिरिक्त कार्ड जारी कर सकता है।
21. अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड पर हुए सभी लेनदेन और शुल्क, ब्याज आदि के लिए मुख्य कार्डधारक पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ये सभी शुल्क आपके स्टेटमेंट में शामिल होंगे।
22. कार्ड के ये सामान्य नियम अतिरिक्त कार्ड सदस्यों पर भी लागू होंगे। मुख्य कार्डधारक यह सुनिश्चित करता है कि अतिरिक्त कार्डधारक ने उसे कार्ड के इन सामान्य नियमों और **MITC** पर सहमति देने का अधिकार दिया है, और वह किसी भी ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार होगा जो अतिरिक्त कार्डधारक द्वारा इन शर्तों के विपरीत किया जाए।
23. अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड पर किए गए खर्चों पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मुख्य कार्डधारक यह तय कर सकता है कि ये रिवॉर्ड्स किसे मिलेंगे, और वह कार्ड स्टेटमेंट जारी होने के बाद हर महीने इस वितरण को बदल सकता है। ऐसे बदलाव अगली कार्ड स्टेटमेंट साइकिल से लागू होंगे।
24. अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड से जुड़े सभी ट्रांज़ैक्शन अलर्ट और **OTP** केवल अतिरिक्त कार्डधारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
25. बैंक के पास अधिकार है कि वह बिना कोई सूचना या कारण बताए, अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं/लाभों में बदलाव कर सकता है। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए मुख्य कार्ड से जुड़ा खाता एक्टिव होना चाहिए। खाते के 'एक्टिव' होने की परिभाषा फेडरल बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार है।
26. बैंक के पास अधिकार है कि वह बिना कोई सूचना या कारण बताए अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
27. अतिरिक्त कार्डधारक के पास मुख्य कार्डधारक का पते या मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी बदलने का अधिकार नहीं है।
28. पोस्ट ट्रांज़ैक्शन **EMI** सुविधा केवल मुख्य कार्डधारक के लिए ही उपलब्ध होगी। हालांकि, अतिरिक्त कार्डधारक मर्चेन्ट पर भुगतान के समय चेकआउट और इन-स्टोर **EMI** का लाभ उठा सकता है।

29. मुख्य कार्डधारक बैंक को लिखित अनुरोध और सहमति देकर अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड बंद करने या इसकी सुविधा वापस लेने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध मिलने पर, बैंक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या निष्क्रिय करने का अनुरोध मुख्य या अतिरिक्त कार्डधारक दोनों कर सकते हैं।
30. यदि किसी कारण से मुख्य कार्ड खाता बंद हो जाता है या खाते की स्थिति सामान्य से बदलती है, तो अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड की सुविधा और लाभ अपने आप बंद हो जाएंगे।
31. लाउंज और एयरपोर्ट सुविधाओं के लिए खर्च की सीमा अतिरिक्त कार्डधारक के लिए भी समान ही होगी। इन लाभों का इस्तेमाल करने के लिए अतिरिक्त कार्डधारक को अलग से निर्धारित राशि खर्च करनी होगी।
32. फेडरल बैंक किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना के, इन सभी शर्तों में जोड़, बदलाव या परिवर्तन कर सकता है या इस योजना को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य ऑफर से बदल सकता है, या इसे पूरी तरह वापस ले सकता है। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड से होने वाले किसी भी कार्य, दावे, मांग, नुकसान, लागत, शुल्क, खर्च या दावे के लिए आप फेडरल बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड सुविधा से या उससे जुड़े या उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी विवादों, यदि कोई हों, का समाधान यहां दिए गए विवाद समाधान नियमों के अनुसार किया जाएगा।

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के नियम

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की ये नियम एवं शर्तें ("**वर्चुअल कार्ड के नियम**") बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधाओं पर लागू होते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। वर्चुअल कार्ड के ये नियम कार्ड के सामान्य नियम, बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के नियम एवं शर्तों, तथा बैंक के बचत खाते के नियम एवं शर्तों (**सभी मिलकर "मुख्य शर्तें"**) के अतिरिक्त हैं और बदलते नहीं हैं। यदि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की इन शर्तों और मुख्य शर्तों के बीच कोई भिन्नता हो, तो इन वर्चुअल कार्ड शर्तों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां दिए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, जिन्हें इस दस्तावेज़ में परिभाषित नहीं किया गया है, के अर्थ वही होंगे जो मुख्य नियमों में दिए गए हैं।

12. "**खाता/खाते**" का मतलब वही होगा जो इसे मूल शर्तों में बताया गया है।
13. "**वर्चुअल क्रेडिट कार्ड**" का मतलब है एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड, जो मुख्य कार्ड मेंबर के मौजूदा खाता पर जारी किया जाता है। यह अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड मुख्य कार्ड मेंबर के खाते के लॉगिन सेक्शन में एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में बनाया और स्टोर किया जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के लिए कोई फिज़िकल प्लास्टिक कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
14. "**वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेंबर**" का मतलब है वह मुख्य कार्ड मेंबर जिसे फेडरल बैंक द्वारा मुख्य शर्तों और इन वर्चुअल कार्ड शर्तों के तहत वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी किया गया हो।
15. मुख्य कार्ड मेंबर को डिफॉल्ट रूप से वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कार्ड मेंबर अपनी पसंद की क्रेडिट लिमिट के भीतर ऑनलाइन लेन-देन कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह लेन-देन उनके क्रेडिट कार्ड की कुल क्रेडिट लिमिट से अधिक नहीं होगा।
16. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए आवेदन करके और इसे स्वीकार करने पर, यह माना जाएगा कि मुख्य कार्ड मेंबर ने वर्चुअल कार्ड के इन नियमों को पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है।
17. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से किए गए लेन-देन का विवरण स्टेटमेंट में दिखाई देगा और मुख्य कार्ड मेंबर को अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा। मुख्य कार्ड मेंबर को फिज़िकल कार्ड और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च का भुगतान एक ही बार में करना होगा।
18. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के मुख्य विवरण जैसे कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, **CVV** आदि केवल खाते के लॉगिन सेक्शन में उपलब्ध वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेक्शन में ही दिखाई देंगे। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट मुख्य कार्ड की क्रेडिट लिमिट के बराबर होगी। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को हॉट लिस्ट/ब्लॉक करने के लिए खाते के लॉगिन सेक्शन में दिए गए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेक्शन में उपयुक्त विकल्प पर क्लिक किया जा सकता है। यदि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेंबर अपने खाते/खातों को बंद कर देता है, तब भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा जारी रहेगी।

19. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन लेन-देन के लिए ही किया जा सकता है। कार्ड मेंबर यह जानता है कि ऑनलाइन लेन-देन के मामले में, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से की गयी खरीदारी करने पर कार्ड मेंबर द्वारा खरीदारी के समय चार्ज स्लिप साइन नहीं की जाएगी। इसी तरह, कार्ड मेंबर स्वीकार करता है कि ऐसी किसी भी खरीदारी या चार्ज की प्रामाणिकता या वैधता के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, किसी भी कारण से, कार्ड मेंबर बैंक को सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा और किसी भी परिस्थिति में बैंक और/या **Scapia** को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।
20. यदि कोई मर्चेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने से इंकार करता है, तो इसके लिए फेडरल बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा केवल वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेंबर को ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा देने के लिए है और यह लेन-देन की क्वालिटी, सुरक्षा या वैधता की गारंटी नहीं देती।
21. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने का मतलब है कि कार्ड मेंबर वर्चुअल कार्ड की इन शर्तों और मुख्य शर्तों को स्वीकार करता है। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेंबर इन शर्तों के अनुसार भुगतान के लिए बाध्य / जिम्मेदार होगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के उपयोग से होने वाले सभी शुल्क का समय पर भुगतान किया जाए। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा एक विशेष सुविधा है, जिसके लिए बैंक समय-समय पर निर्धारित शुल्क/मूल्य लागू कर सकता है।
22. मुख्य नियमों के सभी पहलू, जिन्हें यहां विशेष रूप से नहीं बताया गया है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में भी समान रूप से लागू होंगे।

वर्जन (13) 20.06.2026